परिशिष्ट- I

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय/ विभाग

क्र. सं.	आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय
1.	रसायन और उर्वरक
2.	नागर विमानन
3.	कोयला
4.	वाणिज्य और उद्योग
5.	कॉरपोरेट कार्य
6.	भारी उद्योग और लोक उद्यम
7.	आवासन और शहरी कार्य
8.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
9.	खान
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग
13.	पोत परिवहन
14.	इस्पात
15.	वस्त्र
16.	पर्यटन
	वित्त मंत्रालय के विभाग
1.	वित्तीय सेवाएं विभाग
2.	निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबधंन विभाग

परिशिष्ट- II
(पैरा 1.5 में संदर्भित)

बकाया यूसी

मंत्रालय/ विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक जारी अनुदान)	बकाया यूसी जो मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संदर्भ में 31.03.2019 तक देय थे	
		लंबित यूसी की संख्या	राशि (₹ लाख में)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2012-13	223	29,180.93
	2013-14	28	6,994.82
	2014-15	119	1,49,432.17
	2015-16	110	57,757.32
	2016-17	345	4,94,909.38
	2017-18	549	9,59,205.02
	कुल	**1,374**	**16,97,479.64**
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2012-13	708	1227.18
	2013-14	100	34.70
	2014-15	355	1,882.84
	2015-16	780	19,774.87
	2016-17	796	58,632.18
	2017-18	869	5,614.72
	कुल	**3,608**	**87,166.49**
भारी उद्योग विभाग	2003-04	1	20.00
	2013-14	1	743.00
	2015-16	3	873.87
	2016-17	14	1,263.09
	2017-18	27	15,651.62
	कुल	**46**	**18,551.58**

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2012-13	96	1,097.68
	2013-14	36	880.92
	2014-15	43	360.54
	2015-16	53	545.94
	2016-17	1	80.00
	2017-18	99	13,561.34
	कुल	**328**	**16,526.42**
उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	2014-15	1	1748.00
	2015-16	3	2306.40
	2016-17	15	1945.86
	2017-18	13	8810.15
	कुल	**32**	**14810.41**
वाणिज्य विभाग	2008-09 एवं 2012-13	7	5,025.33
	2015-16	1	200.00
	2016-17	3	1,961.00
	2017-18	13	6,015.50
	कुल	**24**	**13,201.83**
पर्यटन मंत्रालय	2010-11	2	400.00
	2012-13	2	80.00
	2013-14	4	293.60
	2014-15	10	1,957.00
	2015-16	2	310.80
	2016-17	14	2,639.00
	2017-18	12	823.60
	कुल	**46**	**6,504.00**

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2009-10 एवं 2011-12	4	8.00
	2014-15	2	755.00
	2015-16	3	192.00
	2016-17	11	1,623.00
	2017-18	0	0
	कुल	**20**	**2,578.00**
औषध विभाग	2009-10 एवं 2010-11	4	1,283.80
	2014-15	1	684.00
	2017-18	7	18.00
	कुल	**12**	**1,985.80**
इस्पात मंत्रालय	2015-16	1	139.89
	2016-17	5	154.79
	2017-18	3	941.96
	कुल	**9**	**1,236.64**
लोक उद्यम विभाग	2012-13	9	27.00
	2013-14	7	62.93
	2014-15	3	16.95
	2015-16	39	356.21
	2016-17	1	10.00
	2017-18	0	0
	कुल	**59**	**473.09**
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	2004-05 से 2008-09	23	11.72
	2017-18	3	390.00
	कुल	**26**	**401.72**

पोत परिवहन मंत्रालय	2015-16	10	72.60
	2016-17	14	50.48
	2017-18	29	257.14
	कुल	**53**	**380.22**
खान मंत्रालय	2015-16	2	30.59
	2016-17	5	150.37
	2017-18	9	159.77
	कुल	**16**	**340.73**
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	2007-08 से 2010-11	6	1.33
	2015-16	1	11.53
	2017-18	0	0.00
	कुल	**7**	**12.86**
कुल जोड़		**5,660**	**18,61,649.43**

परिशिष्ट-III

(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत निकाय जिन्होंने तीन माह से अधिक विलंब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखाओं की प्रस्तुति की तिथि	विलंब माह में
1.	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, नई दिल्ली	21.2.2020	20
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	22.8.2019	14
3.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्र), गुरुग्राम	6.6.2019	11
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	13.3.2019	9
5.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	11.3.2019	8
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	20.2.2019	8
7.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	11.1.2019	7
8.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	23.1.2019	7
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	4.1.2019	6
10.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	28.12.2018	6
11.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	4.12.2018	5
12.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर	6.12.2018	5
13.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	19.11.2018	5
14.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	19.11.2018	5
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	15.10.2018	4
16.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा	5.10.2018	3
17.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	8.10.2018	3
18.	इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली	**लेखे नहीं मिले**	
19.	वस्त्र समिति, मुंबई	**लेखे नहीं मिले**	

परिशिष्ट-IV
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके संदर्भ में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
	वर्ष 2012-13 के लिए	
1.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	वित्त
	वर्ष 2013-14 के लिए	
2.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
3.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	
	वर्ष 2014-15 के लिए	
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
5.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुंबई	
	वर्ष 2015-16 के लिए	
6.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
	वर्ष 2016-17 के लिए	
7.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
	वर्ष 2017-18 के लिए	
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	नागर विमानन
9.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
10.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	वाणिज्य तथा उद्योग
11.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्त
12.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत

परिशिष्ट-V

(पैरा 1.7 में संदर्भित)

संसद में स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में देरी

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
	वर्ष 2012-13 के लिए		
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	16
	वर्ष 2013-14 के लिए		
2.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	43
3.	इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	39
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली	रसायन तथा उर्वरक	19
5.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	19
6.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	7
	वर्ष 2014-15 के लिए		
7.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	31
8.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	18
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	14
10.	डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
	वर्ष 2015-16 के लिए		
11.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	31

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
12.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला	24
13.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	19
14.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	15
15.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली	नागर विमानन	12
16.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	12
17.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
18.	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	3
	वर्ष 2016-17 के लिए		
19.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	19
20.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	19
21.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	19
22.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	12
23.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला	12
24.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	नागर विमानन	7
25.	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	7
26.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, गुड़गांव, हरियाणा	विद्युत	7
27.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	7

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
28.	वस्त्र समिति, मुंबई	वस्त्र	7
29.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
30.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
31.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3
32.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	3
33.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद	रसायन तथा उर्वरक	2
34.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	वस्त्र	2
35.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	2
36.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता	रसायन तथा उर्वरक	2
	वर्ष 2017-18 के लिए		
37.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी	रसायन तथा उर्वरक	11
38.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर, बिहार	रसायन तथा उर्वरक	11
39.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	रसायन तथा उर्वरक	11
40.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	रसायन तथा उर्वरक	7
41.	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	कॉरपोरेट कार्य	7
42.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	भारी उद्योग और लोक उद्यम	7

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
43.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद	रसायन तथा उर्वरक	6
44.	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा	वाणिज्य और उद्योग	6
45.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	वाणिज्य और उद्योग	6
46.	पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	6
47.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	6
48.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6
49.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	वस्त्र	6
50.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	6
51.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली	नागर विमानन	1
52.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई	वित्त	1
53.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	वित्त	1
54.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1
55.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1
56.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	1
57.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद	वाणिज्य और उद्योग	एक महीने से कम
58.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	
59.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	
60.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद	विद्युत	
61.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	वस्त्र	

परिशिष्ट-VI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली

1.1 अचल परिसम्पत्तियां

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राजघाट समाधि समिति में 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किए गए ₹1.30 करोड़ की राशि के सिविल निर्माण को वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीकृत नहीं किया और समाधि के रखरखाव (सिविल निर्माण) शीर्ष के तहत राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों को कम बताया गया और ₹1.30 करोड़ तक अधिशेष को कम बताया गया।

2. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी (एनएटीआईएस), नई दिल्ली

2.1 देयताएं

2.1.1 भारत सरकार (जीओआई) से ऋण के रूप में प्राप्त किए गए ₹372.00 करोड़ की राशि को देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना अनुदानों में शामिल किया है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अनुमोदित लेखाओं के समान प्रारूप के अनुसार ₹372.00 करोड़ की राशि को परियोजना अनुदानों के रूप में बुक करने के बजाए ऋणों एवं उधारों के रूप में बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजना अनुदानों को अधिक बताया गया और ऋणों एवं उधारों को ₹372.00 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.1.2 देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास निधि में ₹87.54 करोड़ के गलत पूंजीकरण के कारण आधिक्य में बुक किए गए ₹4.37 करोड़ का मूल्यह्रास शामिल है और जिससे 2018-19 के दौरान आईसीएटी-मानेसर से संबंधित विनियोज्य व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय) का अधि-मूल्यह्रास हुआ जो इसके ऐसे अन्य केन्द्रों के लिए जहां ऐसे विनियोज्य व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय) को पूंजीकृत नहीं किया जा रहा है और एनएटीआईएस द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास निधि और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹4.37 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

2.1.3 देयताएं शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास निधि में 2018-19 से पहले अपने अभीष्ट उद्देश्य के लिए परिसम्पतियां तैयार न करने के बावजूद 2017-18 तक बुक किए गए ₹1.62 करोड़ का अधिक मूल्यह्रास शामिल है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास निधि और आय पर व्यय के आधिक्य (पूर्व अवधि की त्रुटि का प्रभाव नहीं होने के कारण) को ₹1.62 करोड़ तक अधिक बताया गया।

2.2 परिसम्पत्तियां

2.2.1 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजन परिसम्पतियों में एनएटीआरएएक्स-इन्दौर द्वारा की गई परियोजना पर 31 मार्च 2019 तक एनएटीआईएस की माल एवं सेवा कर देयता की ₹18.59 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना परिसम्पत्तियों और चालू देयताएं एवं प्रावधानों को ₹18.59 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.2 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में उन परियोजना परिसम्पत्तियों के लिए ₹18.08 करोड़ की राशि शामिल है जो अप्रचलित और जिसके लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा समर्थन बन्द किया गया है, उन्हें 2018-19 के दौरान तकनीकी रूप से उन्नत परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों से बदला गया था। विक्रेता के अनुसार, इन परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य नगण्य था, अत: इन परियेाजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹18.08 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.3 अचल परिसम्पत्तियों शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में एआरसी-चेन्नई में 31 मार्च 2019 तक किए गए कार्य की ₹1.41 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है, जिसके लिए बिल 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए थे। प्रोदभवन आधार पर तैयार किए जा रहे एनएटीआईएस के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए ₹1.41 करोड़ की राशि को 2018-19 के दौरान लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की परिसंपत्तियां और चालू परिसंपत्तियां एवं देयताओं को ₹1.41 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.2.4 अचल परिसंपत्तियां शीर्ष के तहत परियोजना परिसम्पत्तियों में एनएटीआरएएक्स-इन्दौर की परियोजना परिसंपत्तियों की ₹24.27 करोड़ की राशि शामिल है जो 2018-19 से पहले राज्य सरकार को वापस हस्तांतरित की गई है। इन परियोजना

परिसंपत्तियों को आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागतों को अधिक बताया गया और आय पर व्यय के आधिक्य (पूर्व अवधि की त्रुटि का प्रभाव नहीं होने के कारण) को ₹24.27 करोड़ तक कम बताया गया है।

2.3 चालू परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम

चालू परिसंपत्तियां, जमा एवं अग्रिम शीर्ष के तहत परियोजनाओं की परिसंपत्तियां (चालू कार्य) में यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम को अग्रिमों के प्रति प्रावधान के सृजन के कारण ₹7.33 करोड़ शामिल है। उपरोक्त प्रावधान के सृजन के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों (चालू कार्य) को डेबिट करने के बजाय आय और व्यय लेखा में डेबिट किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना परिसंपत्तियों (चालू कार्य) को अधिक और आय पर व्यय के आधिक्य को ₹7.33 करोड़ तक कम बताया गया है।

3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली

3.1 आय और व्यय लेखा

3.1.1 आय शीर्ष के तहत अर्जित ब्याज में वर्ष के दौरान सहायता अनुदानों पर अर्जित ब्याज के प्रति ₹39.84 लाख शामिल है। हालांकि, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदानों या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याजों या अन्य आय को लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरन्त बाद भारत की समेकित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, जीएफआर 2017 के अननुपालन के परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और चालू देयताओं को ₹39.84 लाख तक कम बताया गया और फलस्वरूप इसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

4.1 जारी पूंजीगत कार्य - ₹18.58 करोड़

4.1.1 परिसंपत्तियों शीर्ष के तहत जारी पूंजीगत कार्य में किदवई नगर में सीसीआई के कार्यालय स्थान के लिए आंतरिक फिट-आउट कार्य के कारण मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को भुगतान की गई ₹17.36 करोड़ की राशि शामिल है। अधिकांश कार्य पूरा कर लिया और उपयोग में लाया जा रहा था जिसमें सीसीआई का कार्यालय अगस्त 2018 के दौरान

स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान को ₹10.69 करोड़ तक, सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.36 करोड़ तक अधिक बताया और अचल परिसंपत्तियों को ₹6.34 करोड़ (निवल) (₹6.67 करोड़ - ₹0.33 करोड़ (मूल्यह्रास)) तक कम बताया गया है। फलस्वरूप, अधिशेष को भी ₹0.33 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

4.1.2 सीसीआई ने ₹2.01 करोड़ की लागत से नए कार्यालय परिसर, किदवई नगर, नई दिल्ली में आईटी अवसंरचनात्मक कार्य के लिए सीसीआई को आपूर्ति और कार्यान्वयन के लिए मैसर्स नेशनल इंर्फोमैटिक्न सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। सीसीआई ने ₹93.77 लाख (अर्थात लागत का 40 *प्रतिशत*) की राशि का भुगतान किया और लेखा बही में सीडब्ल्यूआईपी के रूप में बुक किया गया है। आईटी अवसंरचनात्मक के अधिकांश सक्रिय घटक सितम्बर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान प्रदान किए गए और संस्थापित किए गए है, जिसे सीसीआई की तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सत्यापित भी किया गया है, लेकिन इस का पूंजीकरण नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹93.77 लाख तक सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया, ₹107.26 लाख तक चालू देयताएं, ₹160.82 लाख (निवल) {(₹201.03 लाख - (₹40.21 लाख मूल्यह्रास)} अचल परिसंपत्तियां 'कम्प्यूटर/ फेरिफेरल्स' और ₹40.21 लाख तक मूल्यह्रास को कम बताया गया और इसके फलस्वरूप ₹40.21 लाख तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

5.1 आय और व्यय लेखा-आय-अर्जित ब्याज - ₹8.17 करोड़

कैनरा बैंक से प्राप्त किए गए ब्याज प्रमाण-पत्र के अनुसार, ₹1.84 करोड़ (₹0.18 करोड़ के टीडीएस सहित) का ब्याज वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त/ प्रोद्भूत किया गया था। हालांकि, ब्याज आय के रूप में ₹1.84 करोड़ की बुकिंग के बजाय एपीईडीए ने ब्याज आय के रूप में ₹3.86 करोड़ बुक किए गए है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय को ₹2.02 करोड़ तक और चालू परिसम्पतियां, ऋणों, अग्रिमों आदि को ₹2.02 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

5.2 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा- प्राप्तियां- भारत सरकार से प्राप्त किए अनुदान- ₹129.65 करोड़

5.2.1 प्राप्तियों के तहत भारत सरकार से प्राप्त किए गए अनुदानों को ₹50 करोड़ तक अधिक बताया गया है क्योंकि 2018-19 के दौरान प्राप्त किए गए अनुदानों की वास्तविक राशि केवल ₹79.65 करोड़ है। तद्नुसार, चालू देयताओं (भुगतान पक्ष) में कमी को उसी राशि तक अधिक भी बताया गया है।

6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (एईआरए)

6.1 पूंजी निधि एवं देयताएं- चालू देयताएं और प्रावधान- ₹3.89 करोड़

चालू देयताएं और प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क) एईआरए द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से मार्च 2018 के महीने के लिए (₹0.09 करोड़) और वर्ष 2018-19 (₹1.44 करोड़) के लिए उधार लिए गए कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए स्थापना व्ययों (वेतन, मजदूरी और अन्य हितलाभों) के प्रति एएआई को ₹1.53 करोड़ देय है।

ख) किराया के बकायों के प्रति मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड को ₹0.19 करोड़ (₹0.18 करोड़ - अक्टूबर 2019 से मार्च 2018 तक और ₹0.01 करोड़ अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक) देय है। यह मुद्दा वर्ष 2017-18 के लिए एईआरए के लेखाओं पर एसएआर में उठाया गया था, तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस प्रकार, उपर्युक्त देयताओं के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹1.72 करोड़ तक चालू देयताओं और प्रावधानों को कम बताया गया और इसी राशि तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7. राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली

7.1 कैपिटल रिजर्व- सरकारी अनुदान

7.1.1 वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान- ₹31.40 करोड़

उपर्युक्त में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (जेएंडके एसआईडीसीओ) को श्रीनगर में एनआईएफटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भुगतान किए गए ₹5 करोड़ का अनुदान शामिल नहीं है, फरवरी 2018 में इस तथ्य के बावजूद कि मार्च 2019 में संस्थान को जेएंडके एसआईडीसीओ

द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में उपर्युक्त अनुदान के विवरण को शामिल किया गया है। अत: यह राशि 31 मार्च 2019 तक संस्थान के लेखाओं से बाहर रह गई है।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान को ₹5 करोड़ तक कम बताया गया और इसी सीमा तक जारी पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को कम बताया गया है।

7.1.2 सरकारी अनुदान- अप्रयुक्त सरकारी अनुदान- ₹100.01 करोड़

उपर्युक्त में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त किए गए ₹30.48 करोड़ का अनुदान शामिल है और श्रीनगर में एनआईएफटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए जेएंडके एसआईडीसीओ को अग्रिम रूप से भुगतान किया गया हैं। जेएंडके एसआईडीसीओ ने मार्च 2019 में ₹35.48 करोड़ (₹5 करोड़ के राज्य सरकार के हिस्से सहित) के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हैं। तथापि, संस्थान ने अग्रिम को समायोजित नहीं किया और उपर्युक्त सरकारी अनुदान को अब भी 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान में दर्शाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹30.48 करोड़ तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को अधिक बताया गया तथा इसी सीमा तक वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान को कम बताया गया हैं। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप ₹29.93 करोड़[1] तक चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया और फलस्वरूप, इसी सीमा तक सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।

7.2 परिसंपत्तियां- अचल परिसंपत्तियां- जारी पूंजीगत कार्य (भवन)- ₹230.77 करोड़

7.2.1 वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.2.1.1 देखें जिसमें यह बताया गया था कि संस्थान ने दिल्ली केन्द्र के गर्ल्स हॉस्टल व किचन ब्लॉक को पूंजीकृत नहीं किया गया था, जिसे जुलाई 2015 से उपयोग के लिए खोल दिया गया था। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने अगस्त 2018 में दिल्ली केन्द्र को सम्पूर्ण परिसर सौप दिया है। बताए जाने के बावजूद, संस्थान ने उसे अभी तक पूंजीकृत नहीं किया है और सीडब्ल्यूआईपी के तहत ₹58.73 करोड़ के सम्पूर्ण व्यय को रखा है। इसके अलावा, जून

---

[1] ***जेएंडके एसआईडीसीओ ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान को प्रस्तुत की गई यूसी के अनुसार उन्हें प्रदान की गई राशि से ₹0.55 करोड़ अधिक खर्च किया था। इसी को वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थान द्वारा समायोजित किया गया था।***

2018 में डीएसआईआईडीसी को भुगतान की गई ₹3.00 करोड़ की राशि को ठेकेदार को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त भवन का पूंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप ₹58.73 करोड़ तक सीडब्ल्यूआईपी और ₹3.00 करोड़ तक ठेकेदार के अग्रिम को अधिक बताया गया है और फलस्वरूप ₹60.73 करोड़ (₹1.00 करोड़ का मूल्यह्रास को प्रदान करने के बाद) तक अचल परिसंपत्तियां (भवन) को कम बताया गया है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व आय और मूल्यह्रास को ₹1.00 करोड़ तक कम बताया गया है।

7.2.2 उपरोक्त में 31 मार्च 2019 तक ₹5.97 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल है जो श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में एनआईएफटी परिसर के चल रहे निर्माणकार्य के लिए जेएंडके एसआईडीसीओ को प्रदान किया गया है। श्रीनगर परिसर ने ₹5.97 करोड़ के संग्रहण अग्रिम सहित ₹35.55 करोड़ को डब्ल्यूआईपी दिखाया है। तद्नुसार सीडब्ल्यूआईपी का मूल्य संस्थान द्वारा बुक किए गए ₹35.55 करोड़ के बजाय केवल ₹29.58 करोड़ (₹35.55 करोड़ - ₹5.97 करोड़) होना चाहिए और ₹5.97 करोड़ के शेष को ठेकेदार को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को वर्ष 2017 के लिए संस्थान के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.2.1.1 (ii) के अनुसार भी उठाया गया था, हालांकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹5.97 करोड़ तक अधिक बताया गया और फलस्वरूप उसी सीमा तक चालू परिसंपत्तियां, ऋणों और अग्रिमों को कम बताया गया है।

7.2.3 उपरोक्त में अक्टूबर 2014 में अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में स्थानांतरण करते हुए पटना परिसर द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए), पटना को सौंपी गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ₹0.72 करोड़ शामिल है। इन अचल परिसंपत्तियों के प्रति भुगतान के लिए किसी करार के अभाव में और संस्थान की मांग के प्रति बीआईएडीए से कोई प्रत्युत्तर नहीं आने के मद्देनजर, इन अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना चाहिए।

सीडब्ल्यूआईपी में उपरोक्त परिसंपत्तियों को शामिल करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत चालू कार्यों को ₹0.72 करोड़ तक अधिक बताया गया और फलस्वरूप उसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि- विविध देनदार- ₹25.06 करोड़

7.3.1 उपरोक्त में छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त देयता के कारण वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) से वसूली योग्य दर्शायी गई ₹10 करोड़ की राशि शामिल हैं। चूँकि एमओटी ने उपरोक्त राशि जारी नहीं की थी और यह सूचित किया है कि छठे सीपीसी के कारण आगे और कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी, इसलिए संदिग्ध वसूली के लिए जरूरी प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जैसाकि पहले वर्ष 2011-12 से पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पहले ही टिप्पणी की गई थी।

बार-बार संकेत किए जाने के बावजूद संस्थान ने संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान नहीं बनाए है। इसके परिणामस्वरूप, ₹10 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ अधिशेष को अधिक बताया गया है।

7.3.2 उपरोक्त में व्यापार सुविधा केन्द्र वाराणसी में विजुअल मर्केडाइजिंग, फैकेड के विजुअल संवर्धन और खुला स्थान, संबंध में संस्थान द्वारा किए गए कार्य के लिए वस्त्र मंत्रालय से वसूलने योग्य राशि ₹0.51 करोड़ शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को ₹0.51 करोड़ तक कम बताया गया और फलस्वरूप, उसी सीमा तक आय और अधिशेष को कम बताया गया है।

7.4 प्राप्य दावें- टीडीएस एवं वसूली योग्य कर- ₹2.83 करोड़

वर्ष 2006-07 से 2018-19 के लिए भरी गई आयकर विवरणी (आईटीआर) के अनुसार, टीडीएस में कटौती की और कर विभाग को ₹2.59 करोड़ जमा किया गया और इसके प्रति कर विभाग ने मार्च 2019 तक ₹1.16 करोड़ का प्रतिदाय किया हैं। इस प्रकार, टीडीएस प्राप्य को ₹1.43 करोड़ के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, हालांकि, संस्थान ने वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के वर्षों से संबंधित ₹1.87 करोड़ के रूप में आय कर विभाग से टीडीएस प्राप्य दर्शाया है।

इसके परिणामस्वरूप, ₹0.44 करोड़ से प्राप्य दावे को अधिक बताया गया और उसी सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया हैं।

7.5 अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशियां नकद में या वस्तुरूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य- ₹61.76 करोड़

उपर्युक्त में फर्नीचर और फिक्स्चर की अधिप्राप्ति के लिए राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (आरयूडीएसआईसीओ) को ₹3.10 करोड़ का किया गया भुगतान शामिल है। उपर्युक्त परिसंपत्तियां ₹4.10 करोड़ की कुल लागत पर अक्टूबर 2017 में आरयूडीआईएससीओ से संस्थान द्वारा प्राप्त की गई थी, हालांकि, संस्थान ने अभी तक इसे पूंजीकृत नहीं किया है।

इसके परिणामस्वरूप अग्रिम और अन्य वसूल योग्य राशियां नकद में या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य को ₹3.10 करोड़ तक अधिक बताया गया और ₹4.10 करोड़ तक अचल परिसम्पतियों को कम बताया गया और ₹1.00 करोड़ तक विविध क्रेडिटरों को कम बताया गया है।

7.6 आय एवं व्यय लेखा- आस्थगित राजस्व आय- ₹21.78 करोड़

7.6.1 पूर्व अवधि आय- ₹32.37 करोड़

उपर्युक्त में लेखांकन मानक (एएस) 12 - सरकारी अनुदानों के लेखांकन के कार्यान्वयन के कारण आय और व्यय लेखा में बुक किए गए ₹51.14 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹21.78 करोड़ और पूर्व अवधि के लेखा पर ₹29.36 करोड़) के आस्थगित मूल्यह्रास शामिल है। संस्थान ने ₹698.94 करोड़ (निवल आस्थगित मूल्यह्रास) के रूप में सरकारी अनुदान को पूंजीकृत किया, हालांकि, सरकारी अनुदानों में से सृजित तद्नुरूप निवल परिसंपत्तियों को ₹664.23 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 तक खाताबहियों में पूंजीकृत अनुदान और इससे सृजित निवल परिसंपत्तियों के बीच ₹34.71 करोड़ का अंतर है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संकेत किए जाने के बावजूद संस्थान ने 31 मार्च 2019 तक सरकारी अनुदानों और स्वयं की निधियों में से सृजित परिसंपत्तियों के बीच अभी तक मिलान नहीं किया गया है।

8. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली (एनआईपीईआर)

8.1 देयताएं- धर्मादा/ कॉर्पस निधि परियोजना लेखा- ₹5.73 करोड़

उपरोक्त में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए अनुदानों में से किए गए सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज की ₹64.43 लाख (2017-18 के लिए ₹34.71 लाख और 2018-19 के लिए ₹29.92 लाख) राशि शामिल नहीं है। चूँकि, एनआईपीईआर को परियोजना लेखाओं के तहत निधियाँ इस शर्त के साथ आवंटित की गई थी कि इस

प्रकार अर्जित ब्याज को संस्थान/ एजेंसी को किए गए क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और अनुदान की अगली किश्त के लिए समायोजित किया जाएगा। तद्नुसार, संस्थान को संबंधित परियोजना लेखा में अर्जित ब्याज को क्रेडिट करना चाहिए।

हालांकि, संस्थान ने परियोजना लेखाओं के तहत देयता के रूप में अर्जित ब्याज के ₹64.63 लाख को क्रेडिट नहीं किया और इसके बजाय इसे आय रूप में बुक किया, जिसके कारण ₹64.63 लाख से परियोजना लेखा के तहत देयता को कम बताया गया और आय (अर्जित ब्याज) को अधिक बताया गया है। इससे शून्य के बजाय ₹64.63 लाख का घाटा भी हुआ।

8.2 चालू देयताएं एवं प्रावधान- पेंशन देयताएं- ₹1.98 करोड़

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एनआईपीईआर के वार्षिक लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. ए.3.1 और वर्ष 2017-18 के लिए ए.2.1.1 के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करते है जिसमें कहा गया कि संस्थान ने पेंशन देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया है। संकेत किए जाने के बावजूद, संस्थान ने पेंशन देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया है और वर्ष 2018-19 के दौरान केवल ₹1.98 करोड़ के प्रावधान किए और 2014-15 की बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2015 तक ₹26.72 करोड़ की पेंशन देयताओं के प्रति 31 मार्च 2019 तक ₹11.76 करोड़ का पेंशन कोष बनाया गया है। पेंशन देयताओं और घाटा या अधिशेष के लिए कम प्रावधान का प्रभाव 31 मार्च 2019 तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अभाव में परिमाणित नहीं किया जा सका है।

9. फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा (एफडीडीआई)

9.1 चालू देयताएं और प्रावधान- उपदान के लिए प्रावधान- ₹5.61 करोड़

संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सितम्बर 2018 तक उपदान की देयता के लिए भुगतान कर दिया है क्योंकि कर्मचारियों के उपदान के लिए न्यास विलेख सितम्बर 2006 में एलआईसी के साथ किया गया था। अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए देयता का बीमांकिक मूल्य निर्धारण प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष सितम्बर में एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर अंशदान प्रदान किया जाता है।

बैलेंस शीट तारीख तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा में 31 मार्च 2019 तक उपदान के लिए प्रावधान की गई देयता को परिमाणित नहीं किया जा सका है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हैं।

9.2 फीस/ अंशदान- ₹41.89 करोड़

उपरोक्त में अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल 2019 से जून 2019 के लिए संस्थान के कोलकाता परिसर द्वारा छात्रों से प्राप्त की गई फीस ₹0.52 करोड़ में शामिल है। इसे चालू देयताएं और प्रावधानों के तहत अग्रिम में प्राप्त की गई फीस के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप फीस/ अंशदानों को ₹0.52 करोड़ तक अधिक बताया गया और उसी सीमा तक देयताओं और घाटा को कम बताया गया है।

9.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

9.3.1 व्यय- नोट सं. 7

व्यय पर लेखांकन नीति के अनुसार, छुट्टी नकदीकरण पर व्यय को नकद के आधार पर बुक किया गया था।

उपरोक्त नीति, केंद्रीय स्वायत निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा निर्धारित किए गए लेखांकन मानक-15 (कर्मचारियों के हितलाभ) में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करती है, जो बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए देयता के निर्माण का प्रावधान करता है।

बैलेंस शीट तारीख तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2019 तक छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान की गई देयता को परिमाणित नहीं कर सकी है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद, संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

9.4 अन्य टिप्पणी

संस्थान ने एफडीडीआई अधिनियम, 2017 की धारा 21 (1) की आवश्यकता के अनुसार एक निधि का गठन नहीं किया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त धन, संस्थान द्वारा प्राप्त की गई सारी फीस और अन्य प्रभार, ऋणों, अनुदानों, उपहारों, चंदा, धर्मदान, वसीयतों या हस्तांतरण के माध्यम से संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन और संस्थान द्वारा किसी भी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धन जमा किया जाता है। निधि नहीं बनाने के परिणामस्वरूप एफडीडीआई अधिनियम, 2017 का उल्लंघन हुआ है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद संस्थान ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

जून 2019 में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को पिछले वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताएं जाने के बावजूद केन्द्रीय स्वायत निकायों के लिए निर्धारित लेखाओं समान के प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान फिर से लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को बताए जाने पर, बोर्ड ने अपने लेखाओं को संशोधित किया और उन्हें समान प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया।

11. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली

11.1 सहायता अनुदान

संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, इसके पास वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान का अव्ययित शेष ₹170.70 करोड़ की राशि थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान को कोई पूंजीगत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, इसने पूंजीगत अनुदान के अव्ययित शेष पर ₹2.28[2] करोड़ का ब्याज अर्जित किया और वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों/ सीडब्ल्यूआईपी के परिवर्धन के लिए ₹16.12 करोड़ का उपयोग किया। तद्नुसार, पूंजीगत अनुदान का अव्ययित शेष 31 मार्च 2019 तक ₹156.86 करोड़ हैं। हालांकि, वित्तीय विवरणों के अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान का अंतशेष

---

[2] संस्थान ने बैंक गारंटी के आह्वान के कारण ₹1.51 करोड़ सहित ₹3.79 करोड़ के अर्जित ब्याज को दर्शाया है। हालांकि, संस्थान ने चालू देयताओं (अनुसूची 5) के तहत बीजी के आह्वान को दर्शाया हैं। तद्नुसार, उसी की अर्जित ब्याज से कटौती की गई थी।

₹134.31 करोड़ (पूंजीगत निधि ₹622.32 करोड़ में से सकल ब्लॉक ₹448.01 करोड़ घटा कर) है।

संस्थान ने कहा (सितम्बर 2019) कि प्रारंभ में वर्ष 2008-09 और 2009-10 में पूंजीगत अनुदान के उपयोग की गणना करते हुए राजस्व व्यय पर भी विचार किया गया था और तद्नुसार, अंतर का मिलान वर्ष 2008-09 से किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, इसने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान की राशि में अंतर का मिलान करने का आश्वासन दिया।

12. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

12.1 निवेश- निर्धारित/ धर्मादा निधियां- ₹43,370.92 लाख

उपरोक्त में सावधि जमाओं (एक वर्ष की अवधि के लिए) के रूप में विजया बैंक में जमा ₹3,000 लाख और विभिन्न योजनाओं अर्थात् कॉपर्स निधि, पीआरजीएफईई, वीसीएफईई, एसएंडएल फीस आदि के लिए विजया बैंक के बचत एवं स्वाइप खातों में ₹35,370.92 लाख शामिल है, जिसे प्रत्येक योजना के लिए 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि के तहत अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों' के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप प्रत्येक ₹38,370.92 लाख तक "निवेशों-निर्धारित/ धर्मादा निधियां" को अधिक बताया और 'चालू परिसंपत्तियां, ऋणों, अग्रिमों आदि' को कम बताया गया है।

13. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)

13.1 निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज- ₹205.99 करोड़

नकदी और बैंक जमा शेष (बैंकों के पास टीडीआर सहित)- ₹3,328.17 करोड़

उपर्युक्त में सावधि जमा की (फरवरी 2014 में जमा) शेष राशि ₹67.59 करोड़ और 31 मार्च 2019 तक इस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल है जो ₹49.76 करोड़ है जिसकी प्राप्ति ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लंबित है। चूँकि जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ रूपये की सावधि जमा रसीद नहीं हैं और मामले की जांच सीबीआई अदालत द्वारा की जा रही हैं, इसलिए संदिग्ध निवेश और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ को ₹117.35 करोड़ तक अधिक बताया, नकदी और बैंक जमा शेष ₹67.59 करोड़ तक और

निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज को ₹49.76 करोड़ तक अधिक बताया है। इस मुद्दे को 2013-14 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है।

13.2 ठेकेदारों को अग्रिम- ₹329.64 करोड़

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को दिया गया अग्रिम ₹234.50 करोड़ शामिल है। चूँकि आईपीआरसीएल द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और चालू खाता बिलों के माध्यम से पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों के लिए आईपीआरसीएल द्वारा ₹243.46 करोड़ की राशि का दावा किया गया है, इसलिए आईपीआरसीएल को अग्रिम के रूप में दर्शाई गई ₹234.50 करोड़ की राशि पूंजीगत चालू कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसके अलावा, ₹8.96 करोड़ (₹243.46 करोड़ - ₹234.50 करोड़) के अंतर को चालू देयताओं के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

उपर्युक्त चर्चा के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹243.46 करोड़ तक कम बताया गया और चालू परिसंपत्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों को ₹234.50 करोड़ तक अधिक बताया गया और चालू देयताओं को ₹8.96 करोड़ तक कम बताया गया है।

14. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी)

14.1 वित्त और विविध आय- ₹58.63 करोड़

निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज- ₹35.00 करोड़

उपर्युक्त में निर्धारित निधियों पर अर्जित ब्याज के ₹21.94 करोड़ शामिल है। मुख्य पोर्टों (नवम्बर 2002) के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कॉमन फ्रेम वर्क के अनुसार, विशिष्ट निधियों के प्रति निर्धारित निवेश पर प्रोद्भूत आय को संबंधित निधि लेखा में क्रेडिट किया जाना चाहिए और संबंधित निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधि लेखा में डेबिट किया जाएगा। पोर्ट ने "वित्त और विविध आय" शीर्ष के तहत निर्धारित निधियों पर ब्याज को लेखांकित किया है। इसके परिणामस्वरूप, घाटा और निर्धारित निधियों को ₹21.94 करोड़ तक कम बताया गया है।

यद्यपि उपर्युक्त कमी को 2014-15 से लेखापरीक्षा द्वारा बताया जा रहा है, उसे पोर्ट प्रबंधन द्वारा सुधारा जाना बाकी है।

15. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (डीपीटी)

15.1 चालू देयताएं और प्रावधान- ₹3,517.55 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किए गए पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 तक पेंशन निधि के संबंध में कुल देयता ₹783.76 करोड़ है। डीपीटी ने वर्ष के लिए केवल ₹391.88 करोड़ की देयता स्वीकृत की तथा लेखा टिप्पणियों (सं. 31) में इसे बताया कि ₹391.88 करोड़ की शेष देयता आगामी वर्ष में स्वीकृत की जाएगी।

तथापि, एएस 15 (कर्मचारी हित) के अनुसार पेंशन निधि की पूर्ण व्यवस्था वर्तमान वर्ष में की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों तथा प्रावधानित राशियों को कम बताया गया तथा लाभ को ₹391.88 करोड़ तक अधिक बताया गया।

15.2 संपदा किराया- ₹280.82 करोड़

भूमि से किराया- ₹258.42 करोड़

डीपीटी ने सुविधा प्रतिपूर्ति प्रभारों को नकद आधार पर लेखांकित किया, जो कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रोद्दभवन आधार पर लेखांकन के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (सं. 2) के अनुरूप नहीं है। अत: भूमि से किराये में 31 मार्च 2019 तक पाईपलाइन डिवीजन से संबंधित सुविधा प्रतिपूर्ति प्रभारों के प्रति विभिन्न पार्टियों द्वारा वसूल किऐ जाने योग्य ₹19.91 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष की आय ₹14.29 करोड़ तक, पूर्व अवधि आय ₹5.62 करोड़ तक तथा वर्तमान परिसंपत्तियां ₹19.91 करोड़ तक कम बताई गई।

यद्यपि, उपरोक्त अभ्युक्ति को 2017-18 के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की टिप्पणी सं. बी.1.2 (ii) के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी संशोधित करना शेष है।

16. मोरमुगाओं पत्तन न्यास (एमपीटी)

16.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम- ₹262.23 करोड़

विविध देनदार- ₹60.36 करोड़

इसमें 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के लिए मै. वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि. (डब्ल्यूआईएसएल) से पट्टा किराया, विलंबित भुगतान पर ब्याज, डब्ल्यूआईएसएल पर

उद्ग्रहित अधिक्रमण प्रभार के प्रति ₹7.26 करोड़ की राशि शामिल है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत एक अधिस्थगन जारी किया (12 दिसंबर 2017) जिसके अंतर्गत एमपीटी को डब्ल्यूआईएसएल की किसी भी परिसंपत्ति के अंतरण, उस पर ऋण लेने, हस्तांतरित करना या निपटारा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए मै. डब्ल्यूआईएसएल से ₹7.26 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं है और इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप देनदारों को बढ़ाकर तथा इसी सीमा तक प्रावधानों को कम बताया गया।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा इसे 2017-18 से बताया जा रहा है तथापि, इसे पत्तन प्रबंधन द्वारा अभी संशोधित किया जाना है।

17. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

17.1 कोर्पस/ पूंजीगत निधि और देयताएं

एनडॉमेंट निधि- ₹513.42 करोड़

उपरोक्त में 1964 से आगे के वर्षों में आयोग तथा नोडल बैंकों द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संस्थानों को आयोग द्वारा उपलब्ध इम्प्रेस्ट अनुदान अग्रिम का जोड़ शामिल है, जो अप्राप्ति/ प्रतिपूर्ति बिलों/ वाउचरों की प्रविष्टि न करने के कारण लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किऐ जा सके। विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ₹14.20 करोड़ के अग्रदाय अग्रिम के 'एनडॉमेंट निधि' शेषों की सटीकता और चुकौती को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं।

यद्यपि यह टिप्पणी 2011-12 से एसएआर में जारी की गई थी, तथापि केवीआईसी द्वारा इतने विलंब के बावजूद भी शेष अग्रिमों का समायोजन/ मिलान किया जाना शेष है।

आयोग को क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यक्रम निदेशालयों, खादी संस्थानों तथा ग्रामोद्योग संस्थानों आदि से ₹1,453.53 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुऐ है। ₹1,453.53 करोड़ में से ₹903.52 करोड़ वर्ष 2000-01 से 2016-17 तक से संबंधित है तथा शेष ₹550.01 करोड़ वर्ष 2017-18 से संबंधित है। इस प्रकार आयोग द्वारा जीएफआर 212(1) के साथ पठित 209(6) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। लंबित यूसी की निगरानी हेतु उचित सिस्टम की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा बुक किए गए व्यय की जाँच करने में असमर्थ रही।

टिप्पणी 2016-17 से जारी की जा रही हैं।

17.2 चालू परिसंपत्तियां तथा प्रावधान- ₹28.54 करोड़

इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों/ सीओ यूनिटों/ सहकारी बैंकों आदि के पास व्यय न की गई राशि के रूप में ₹245.50 करोड़ की राशि तथा भारत सरकार को वापिस लौटाने योग्य अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ₹80.63 करोड़ का ब्याज (2017-18 के लिए ₹34.26 करोड़ + 2018-19 के लिए ₹51.51 करोड़ - दोनों वर्षों में आंतरिक संसाधन उत्पादन (आईआरजी) पर अर्जित ₹5.14 करोड़ का ब्याज) शामिल नहीं है। भारत सरकार को वापिस किए जाने वाले अव्ययित अनुदान (अंत्तिम लेखाओं के भाग बनाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के क्रम सं. 3.1 में यथा उद्दघाटित), को वर्तमान परिसंपतियों में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों को कम तथा प्राप्यों को ₹326.13 करोड़ तक कम बताया गया।

17.3 अचल परिसंपत्तियां- ₹18.50 करोड़

जारी पूंजीगत कार्य- ₹5.92 करोड़

इसमें ₹18.95 करोड़ के कुल संविदा मूल्य के प्रति मै. एटॉस इंडिया प्रा. लि. को 2017-18 से 2018-19 के दौरान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवेलेपमेंट (एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन तथा एसएपी लाईसेंस) के लिए किए गए आंशिक भुगतान के रूप में ₹7.57 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर विकास पर कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च 2019 तक उसे प्रयोग में नहीं लाया गया। केवीआईसी ने ₹7.57 करोड़ की जारी पूंजीगत कार्य पर (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति) के अंतर्गत लेखांकित करने के बजाय उस राशि को राजस्व व्यय (अनुदान और रियायत पर व्यय) के अंतर्गत लेखांकित किया।

इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप जारी पूंजीगत कार्य (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति) को कम तथा राजस्व व्यय को ₹7.57 करोड़ तक अधिक बताया गया।

यह टिप्पणी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 में जारी की जा चुकी है तथा केवीआईसी ने वर्तमान वर्ष में भी इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

17.4 प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

पीएमईजीपी व्यय- ₹2,142.86 करोड़

अनुसूची 15 सी के अनुसार संवितरित मार्जिन राशि ₹2,100 करोड़ थी। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी की निष्पादन स्थिति के अनुसार, लाभार्थियों की संवितरित मार्जिन राशि ₹2,070 करोड़ थी। अत: इसमें ₹30 करोड़ का अंतर है। इसके परिणामस्वरूप पीएमईजीपी व्यय को अधिक बताया गया तथा एंडॉमेंट निधि को ₹30 करोड़ तक कम बताया गया।

17.5 आय और व्यय लेखा

17.5.1 स्थापना व्यय- ₹361.31 करोड़

अनुसूची 14 के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन पर ₹184.54 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, लेखा निदेशालय (पेंशन) द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन पर वास्तविक व्यय ₹169.46 करोड़ था। अत: स्थापना व्यय को ₹15.08 करोड़ तक अधिक बताया गया।

17.5.2 कोर्पस/ पूंजीगत निधि- ₹18.50 करोड़

इसमें व्यय की तुलना में आय की अधिकता के रूप में ₹31.40 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। व्यय की तुलना में आय की अधिकता होने पर समान प्रारूप के अनुसार उसे कोर्पस/ पूंजीगत निधि में शामिल किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कोर्पस/ पूंजीगत निधि को कम करके बताया गया और आरक्षित तथा अधिशेष को ₹31.40 करोड़ तक अधिक बताया गया और भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान प्रारूप का अनुपालन नहीं किया गया।

17.5.3 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि- ₹2,215.89 करोड़

इसमें ट्रेंडिंग यूनिटों द्वारा ब्याज तथा अन्य, ग्रामोद्योग पूंजी पर ब्याज, छूट और रियायतों आदि के प्रति केवीआईसी को पुर्नभुगतान योग्य कुल ₹33.66 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। ट्रेडिंग फंड लेखा में, इसे देयता के रूप में दर्शाया गया है लेकिन मुख्य लेखा में केवीआईसी ने इसे प्राप्यों के रूप में नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप मुख्य निधि की चालू परिसंपत्तियों को ₹33.66 करोड़ तक कम बताया गया।

17.5.4 चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹28.54 करोड़

इसमें लेखा मानक 15 तथा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (खंड 12.1 तथा 12.2) के लिए लेखों के समान प्रारूप के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यक बीमांकक मूल्याकंन आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण की देयता के लिए

प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधानों को उस सीमा तक कम बताया गया जहां तक प्रावधान नहीं किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों का अननुपालन किया गया।

यह टिप्पणी 2017-18 की एसएआर में जारी की गई थी जिस पर आयोग ने उत्तर दिया कि विभिन्न व्यवधानों के कारण 2017-18 में लेखाकंन की प्रोद्भवन प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अनुपालन करने के प्रति आश्वासन दिया, जो अभी तक नहीं किया गया है।

18. तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)

18.1 निवेश- अन्य- ₹3,79,871 लाख

मै. बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान न होने के कारण उक्त को ₹4,013 लाख तक अधिक बताया गया। एएस13 की आवश्यकता के अनुसार बीएलएल में ओआईडीबी द्वारा धारित निवेश के मूल्य में स्थायी और निरंतर कमी को लेखाओं में दर्ज नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 'व्यय पर आय की अधिकता' को इसी राशि तक अधिक बताया गया।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक लेखाओं पर अपने पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारत के सीएजी ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तथापि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

18.2 चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि- ₹7,84,639 लाख

उपरोक्त को ₹8,377 लाख तक अधिक बताया गया, जिसके कारण हैं:

i) बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए ₹1,200 लाख के ब्रिज ऋण का प्रावधान न किया जाना, यद्यपि किश्तों का भुगतान आगामी नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऋण की वसूली हो पाएगी।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक लेखाओं पर भारत के सीएजी ने अपने पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तथापि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ii) बीको लॉरी लि. (बीएलएल) का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वर्तमान कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन देय को, बैंकों से सुरक्षित ऋणों तथा आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित व्यय पूर्ण करने हेतु दिए गए ₹7,177 लाख के ऋण के लिए प्रावधान न किया जाना। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

इसके परिणामस्वरूप, 'व्यय पर आय की अधिकता' को भी ₹8,377 लाख तक अधिक बताया गया।

18.3 सामान्य

18.3.1 हाइड्रोजन कोर्पस निधि का सृजन और उपयोगिता

जून 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ओआईडीबी तथा तेल पीएसयू के सहयोग से हाइड्रोजन कोर्पस निधि (एचसीएफ) का सृजन करने का निर्णय लिया। एचसीएफ को ₹100 करोड़ की आरंभिक कोर्पस के साथ वर्ष 2004 में स्थापित किया गया। एचसीएफ में ओआईडीबी ने ₹40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी तथा गेल प्रत्येक ने ₹16 करोड़ तथा बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक ने ₹6 करोड़ का सहयोग दिया। एचसीएफ में सहभागी संगठनों के विभिन्न आरएंडडी संस्थानों के माध्यम से तेल तथा गैस क्षेत्र के भीतर हाइड्रोजन अनुसंधान तथा संबंधित कार्यकलाप करने हेतु सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2019 तक, कोर्पस निधि में ₹152.36 करोड़ की राशि एकत्रित हो चुकी थी जिसे ओआईडीबी के खातों से बाहर विभिन्न बैंकों में रखा जा रहा था। एचसीएफ के वर्ष 2018-19 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (सितंबर 2019)। निधि के लिए कोई औपचारिक लेखापरीक्षा और जवाबदेही तंत्र नहीं था। सम्मिलित राशि के संदर्भ में, निधि के वित्तीय लेन देनों को देखने हेतु एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि सभी परियोजनाएं सीएचटी द्वारा की जानी है, अत: ओआईडीबी को उचित निगरानी तथा बेहतर उपयोगिता हेतु उन्हें निधि हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए था। इसे पिछले वर्षों में प्रबंधन पत्र द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान विशेष रूप से दर्शाया गया था।

18.3.2 ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट का सृजन

अप्रैल से जून 2000 की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। माननीय पीएंडएनजी मंत्री की अपील की प्रतिक्रिया में,

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन राज्यों में सूखा प्रभावित गांवो को पीने के पानी के परिवहन के लिए डीज़ल की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निश्चय किया। 1 जून 2000 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट (ओआईडीबी डीआरटी) का सृजन किया गया। 29 सितंबर 2009 को आयोजित ट्रस्टी के बोर्ड की बैठक में ट्रस्ट का नाम परिवर्तित करके ओआईडीबी राहत ट्रस्ट करने का निर्णय लिया क्योंकि सूखा राहत ट्रस्ट के निर्धारित उद्देश्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे। ओआईडीबी राहत ट्रस्ट को अंशदान के प्रति तेल पीएसयू से ₹20.60 करोड़ प्राप्त हुऐ थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट में ₹17.29 करोड़ की राशि एकत्रित हो चुकी थी जिसे ओआईडीबी के खातों से बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया था। निधि के लिए कोई औपचारिक लेखापरीक्षा और जवाबदेही तंत्र सृजित नहीं किया गया था। सम्मलित अधिक राशि के मद्देनजर, निधि के वित्तीय लेनदेनों पर नजर रखने हेतु एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता है। इसे पिछले वर्षों में प्रबंधन पत्र द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा में विशेष रूप से दर्शाया गया था।

19. राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद

19.1 अचल परिसंपत्तियां- ₹13,679.44 लाख

जारी पूंजीगत कार्य अचल- ₹1,190.60 लाख

उपरोक्त में अहमदाबाद में एनआईडी कैम्पस में महिला छात्रावास के अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण और एनआईडी, गांधी नगर में छात्र भोजनालय तथा मनोरंजन केंद्र के निर्माण की लागत के रूप में ₹1,190.60 लाख शामिल है। संस्थान ने दोनों भवनों का कब्जा पहले से ही ले रखा था और जुलाई 2018 में उसे अपने अधिकार में ले लिया था। नवंबर 2018 में हैंडिंग ओवर/ टैकिंग ओवर प्रकिया भी पूर्ण हो चुकी थी। उक्त के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया और अचल परिसंपत्ति (भवन) को ₹1,190.60 लाख तक कम बताया गया।

19.2 चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम- ₹9,463.73 लाख

इसमें पाँच से 19 वर्ष पूर्व पूर्ण परियोजना से संबंधित 31 मार्च 2013 तक अर्जित आय ₹70.85 लाख (अन्य परियोजना प्राप्तियां: ₹63.20 लाख तथा सेवा प्रभार: ₹7.65 लाख) शामिल है। संस्थान द्वारा न तो इन पुराने प्राप्यों की वसूली की गई और न ही संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान की कोई नीति बनाई गई। प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिम' को अधिक तथा इसके अनुरूप

'तुलन पत्र में लाई गई कमी' को ₹70.85 लाख तक कम बताया गया। इस मामलें को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए एसएआर में सम्मिलित किया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखों में संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

20. कोलकत्ता पत्तन ट्रस्ट (केओपीटी)

20.1 आरक्षित पूंजी में किराया अनुसूची के अनुसार अप्राधिकृत अधिग्रहण के लिए किरायदारों से प्रतिपूर्ति प्रभार के लिए केओपीटी द्वारा उद्ग्रहित ₹323.34 करोड़ सम्मिलित हैं। राशि को सीधे ही आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया गया। इस प्रकार, प्रतिपूर्ति प्रभारों के पूंजीगत प्राप्तियों में लेखांकन के परिणामस्वरूप आरक्षित पूंजी को ₹323.34 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा वर्ष के लाभ को ₹77.57 करोड़ तथा पूर्व अवधियों के लिए लाभ को ₹245.77 करोड़ तक कम बताया गया।

20.2 वर्ष 2018-19 के दौरान भूमि की बिक्री से संबंधित ₹115 करोड़ की राशि को केओपीटी की आय के स्थान पर आरक्षित पूंजी के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हुए लेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को कम तथा आरक्षित पूंजी को ₹115 करोड़ तक अधिक बताया गया और इसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक लाभ को कम बताया गया। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त भूमि की लागत भूमि के शेष आंकड़ों से भी नहीं घटाई गई थी और इसके परिणामस्वरूप भूमि के साथ-साथ आरक्षित तथा अधिशेष निधि को ₹115 करोड़ तक अधिक बताया गया।

20.3 हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स (एचडीसी) के जारी पूंजीगत कार्य में जिग्गरखली फ्लैट पर पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए ₹17.32 करोड़ शामिल है, जो कि काफी लंबे समय से सीडब्ल्यूआईपी के रूप में रखा गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति के संबंध में कोई रिकॉर्ड/ दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अत: यह राशि लाभ और हानि लेखा में चार्ज ऑफ किया जाना चाहिए था। इस राशि को प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.32 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा इसी राशि तक लाभ को भी अधिक बताया गया।

20.4 बीमांकिक मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार, पेंशन तथा वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए देनदारियां क्रमश: ₹2,665.19 करोड़ तथा ₹374.20 करोड़ (कुल ₹3,039.39 करोड़) थी जिसके प्रति ₹2,171.53 करोड़ की कुल निधि उपलब्ध थी। यद्यपि इस तथ्य को लेखा टिप्पणियों (क्रम. स. 13) में उद्घाटित किया

गया था, तथापि लेखाओं में कम पड़ने वाली ₹867.86 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया था। इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन तथा उपलब्ध निधियों के बीच अंतर हेतु देयताओं का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम बताने के साथ-साथ लाभ को ₹867.86 करोड़ तक अधिक बताया गया।

20.5 महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों तथा मूल लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, केओपीटी ने 2018-19 में चालू वर्ष के लिए लीज़ प्रीमियम के लिए ₹110.23 करोड़ की राशि को आय के रूप में दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप पट्टाकृत भूमि पर प्रीमियम को ₹108.19 करोड़ तक अधिक बताया गया इसके साथ ही कर पूर्व निवल लाभ को भी इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

20.6 2018-19 में केओपीटी का कर के पश्चात लाभ ₹31.63 करोड़ था तथा इसने ₹31.63 करोड़ के बजाय ₹108.19 करोड़ (अपफ्रंट प्रीमियम से संबंधित आस्थगित राजस्व आय का हस्तांतरण) का विनियोजन किया था। विनियोजन लेखा के संबंध में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्ट्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शर्तों पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार लाभ का विनियोजन, डिवीडेंड, आरक्षितों, भागीदारों के शेयरों, कर प्रावधान आदि के लिए किया जा सकता है। तथापि, केओपीटी ने लाभ राशि से अधिक का विनियोजन किया है। इसके परिणामस्वरूप विनियोजन के पश्चात घाटे तथा बैलेंस शीट के अंतर्गत लाभ तथा हानि लेखा के डेबिट शेष को ₹76.56 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसी राशि तक आस्थगित राजस्व आय को भी कम बताया गया।

21. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

21.1 निवेशों में अगस्त 2009 से कार्य बंद कर चुके सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लि., चेन्नई के इक्विटी शेयरों में निवेश के प्रति ₹30 करोड़ की राशि सम्मिलित है। लागत पर निवेश का मूल्य निर्धारण निवेशों के लिए लेखांकन संबंधी एएस 13 के प्रतिकूल है। इसके परिणामत: निवेश को अधिक बताया गया तथा इसके साथ ही कर पूर्व निवल अधिशेष को ₹30 करोड़ अधिक बताया गया।

21.2. निवेशों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ विशेष उद्देश्य वाहन पारादीप पत्तन रोड़ कॉरपोरेशन लि. (पीजीआरसीएल) में इक्विटी शेयरों में ₹40 करोड़ का निवेश सम्मिलित है। पीसीआरसीएल की निवल कीमत का पूरा अपरदन हो गया जो 31-03-2016 को (-)₹495.52 करोड़ था। इसी बीच 18 अक्टूबर 2019 को आयोजित बैठक सं. 02/2018-19 में ट्रस्टी बोर्ड (पाराद्वीप पत्तन न्यास) मूल्यांकन किया कि एनचएआई ने एसपीवी को बंद करने का प्रस्ताव दिया है। अत:, एएस- 13 के अंतर्गत

यथा आवश्यक दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसका प्रावधान न करने के कारण ₹40 करोड़ तक निवेश को अधिक बताया गया और साथ ही कर पूर्व निवल अधिशेष को अधिक बताया गया।

21.3 मंत्रालय ने नामावली (सीएफएंडएच) पीपीटी' के क्लियरिंग फारवर्डिंग और हैडेलिंग कामगारों के लिए विशेष सिवरेल पैकेज के अंतर्गत सीएफएंडएच कामगारों का वी आर एस देने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु पत्तन न्यास के प्रस्ताव (13 नवंबर 2015) को स्वीकृति (21 मार्च 2016) दे दी तथा यह भी निदेश दिए कि समस्त वित्तीय प्रभाव को वहन पत्तन की लाभकारिता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीकरण तथा अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने हेतु आवश्यक निवेशों के साथ पत्तन न्यास द्वारा किया जाएगा। 31 मार्च 2019 तक प्रबंधन समिति द्वारा ₹84.80 करोड़ का संवितरण किया जा चुका था। तथापि, इन संवितरणों को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित करने की अपेक्षा चालू परिसंपत्ती ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस प्रकार 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों' को अधिक बताने के साथ कर पूर्व निवल अधिशेष को ₹84.80 करोड़ अधिक बताया गया।

22. कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)

31 मार्च 2019 को सीडीएलबी की सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए देयता ₹875.52 करोड़ दर्शायी गई थी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना में यह ₹908.52 करोड़ दर्शायी गई। इसके परिणामत: चालू देयताओं तथा प्रावधानों के साथ-साथ आय पर व्यय के आधिक्य को ₹33.00 करोड़ तक कम बताया गया।

23. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि में 'पटसन भवन' के निर्माण के लिए भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चरणों में प्राप्त ₹69.92 करोड़ सम्मिलित हैं जिसे निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि में दर्शाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामत: ₹69.92 करोड़ तक निर्धारित निधि को कम बताया गया तथा पटसन बोर्ड निधि लेखा को अधिक बताया गया। अतिरिक्त, ₹0.39 करोड़ की ऐसी अव्ययित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को पटसन बोर्ड निधि लेखा के स्थान पर 'पटसन भवन' के लिए निर्धारित निधि में क्रेडिट किया जाना चाहिए था। इसके कारण चालू देयताओं को कम बताया तथा आय को अधिक बताया गया।

24. टी बोर्ड

1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पत्र सं. क्रमश: 48021/2/93 - संयंत्र ए दिनांक 16 अगस्त 1993, टी - 39012/93 संयंत्र ए दिनांक 26 अप्रैल 1994, टी - 39012/1/93 - संयंत्र ए दिनांक 4 जुलाई 1994, टी-39012/1/93 30 मार्च 1995 तथा फैक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 तथा 25 अक्टूबर 1995 के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भारतीय चाय ट्रेडिंग निगम लि. (टीटीसीआई) को ₹599 लाख का भुगतान किया।

इस ब्याज मुक्त ऋण के प्रति, 2 जून 1994 को टीटीसीआई ने टी बोर्ड को ₹25 लाख की राशि का प्रतिदाय किया था। ऋण तथा प्रतिदाय के भुगतान के विवरण नीचे दिए गऐ हैं:-

तिथि	चैक सं.	निकासी	राशि (₹ लाख में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बडौदा	9
		कुल	**599**
घटा: बैंक अंतरण द्वारा 2 जून 1994 को टीटीसीआई द्वारा प्रतिदाय।			**25**
		शेष	**574**

टीटीसीआई को भुगतान किए गऐ उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, टी बोर्ड को टीटीसीआई को किए भुगतानों के लिए भारत सरकार से ₹354 लाख के अनुदान प्राप्त हुऐ। इसके पश्चात, टीटीसीआई बंद करने के आदेश दिनांक 24 जून 2002 के अनुसार परिसमापन में चला गया और टी बोर्ड ₹574 लाख के उक्त ऋण की वसूली नहीं कर पाया। 2012-13 के दौरान, टी बोर्ड ने सरकार को देय ऋण में से टीटीसीआई को

भुगतान किए गए ₹220 लाख (₹574 लाख- ₹354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशि समायोजित कर दी। अत: टी बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में टीटीसीआई को प्रदत्त ₹574 लाख की कुल राशि सरकार से प्राप्त/ समायोजित की।

तथापि, बैलेंस शीट में ₹354 लाख "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण'' के रूप में परिसंपत्ति में उद्घाटित किए गए। इसी प्रकार, अन्य देयताओं में ₹354 लाख "टीटीसीआई के लिए सरकार को देय" के रूप में भी सम्मिलित है।

चूंकि टीटीसीआई अब अस्तित्व में नहीं है और टी बोर्ड ने सरकार से टीटीसीआई को भुगतान किए ऋण की कुल राशि प्राप्त/ समायोजित कर ली है; बैलेंस शीट की परिसंपत्ति की ओर "टीटीसीआई से ब्याज मुक्त ऋण" ₹354 लाख का उद्घाटन सही नहीं है तथा इसे "टीटीसीआई की ओर से सरकार को देय" के प्रति ₹354 लाख की देयता के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त का समायोजन न होने के परिणामत: "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के प्रति परिसंपत्तियों को ₹354 लाख तक अधिक बताया गया तथा "अन्य देयताओं" को भी इसी राशि तक अधिक बताया गया।

25. तम्बाकू बोर्ड

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹210.56 करोड़

ग्रेच्युटी अवकाश वेतन तथा अर्ध वैतनिक अवकाश निधि का भुगतान- ₹30 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा अनुमानित तम्बाकू बोर्ड के वे कार्मिक जो सेवानिवृति की आयु प्राप्त कर चुके हैं उन्हे ग्रेच्युटी और समुह अवकाश नकदीकरण के लिए किऐ जाने वाले भुगतान का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त को ₹24.35 करोड़ कम बताया गया, जिस पर भारत सरकार की स्वीकृति लंबित हैं। इस प्रकार, ₹16.41 करोड़ के अधिशेष की अपेक्षा, वर्ष के दौरान ₹7.94 करोड़ का घाटा होगा।

26. कॉफी बोर्ड

आय- ₹193.72 करोड़

लेखाकंन मानक- 12 (अनुदानों का लेखाकंन) के पैरा 14 के प्रावधानों और लेखाओं के समान प्रारूप के प्रावधानों के अंतर्गत यथा आवश्यक बोर्ड में सरकारी अनुदानों से क्रय की गई परिसंपत्तियों का लेखाकंन ''आस्थगित आय'' के रूप में करने की अपेक्षा

परिसंपत्ति लेखा को डेबिट और समग्र निधि को क्रेडिट करने की प्रथा रही है। इसके परिणामत: आय तथा व्यय पर आय का अधिक्य को ₹8.27 करोड़ कम बताया गया। इसका परिणामस्वरूप आस्थगित आय को कम बताया गया तथा संचित/ पूंजीगत निधि को ₹84.95 करोड़ से अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामत: लेखा के समान प्रारूप की अनुसूची 8 की टिप्पणियों/ लेखाकंन मानक-12 के पैरा 14 में विनिर्दिष्ट रूप में सरकारी अनुदानों से क्रय की गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास विधि का अनुपालन नहीं हुआ।

27. कोचीन पत्तन ट्रस्ट

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹747.66 करोड़

31 मार्च 2019 तक बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों तथा पेंशनरों के पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंशदान के आधार पर देयता की गणना ₹2,774.26 करोड़ की गई थी, जिसके प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी निधि में ₹178.05 करोड़ निवेश किया गया, जिसमें ₹2,596.21 करोड़ की कमी थी। इसके परिणामत: चालू देयताओं और प्रावधानों को ₹2,596.21 करोड़ कम बताया गया साथ ही लाभ को इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

28. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

28.1 चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹211.11 करोड़

उपरोक्त को सांतवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के कारण कर्मचारियों के प्रति देयों में वृद्धि के कारण देय सांवधिक देयों (ग्रेच्युटी - ₹1.22 करोड़, अवकाश नकदीकरण - ₹0.37 करोड़, सारांशीकृत पेंशन - ₹3.16 करोड़ तथा पेंशन बकाया - ₹3.82 करोड़) की अंतर राशि का प्रावधान न करने के कारण ₹8.57 करोड़ कम बताया गया। इसके परिणामत: प्रावधानों और व्यय को ₹8.57 करोड़ तक कम बताया गया।

28.2 स्थापना व्यय- ₹39.14 करोड़

बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ के लिए देयताओं के कारण इसे ₹177.03 करोड़ कम बताया गया। प्राधिकरण ने इस देयता को आय और व्यय लेखा के माध्यम से दर्शाने की अपेक्षा बैलेंस शीट में 'विविध व्यय' में समानांतर डेबिट करने के साथ 'चालू देयताओं और प्रावधानों' में दर्शाया। इसके परिणामत: 'स्थापना

व्ययों' को ₹177.03 करोड़ कम बताया गया तथा 'विविध व्यय' को इसी सीमा तक अधिक बताया गया।

29. वी.ओ. चिदम्बरानर पत्तन न्यास

वित्तीय और विविध व्यय- ₹209.84 करोड़

एलआईसी द्वारा किए गऐ बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी निधियों के लिए अंशदान में कमी के कारण उपरोक्त को ₹46.75 करोड़ कम बताया गया। इसके परिणामत: ₹46.75 करोड़ से चालू देयताओं तथा प्रावधानों को कम बताया गया तथा लाभ को अधिक बताया गया।

30. न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास

स्थायी परिसंपत्तियां- निवल ब्लॉक: ₹874.93 करोड़

'अधिक बड़े गैस कैरियर के प्रबंधन हेतु बर्थ सं.13 पर अग्निशमन सुविधा के संवर्धन', जिसे सितंबर 2017 में पूंजीकृत किया गया था, कार्य के संबंध में निवल ब्लॉक को ₹3.03 करोड़ अधिक बताया गया। कार्य पर मूल्यह्रास को कार्य की समयावधि 10 वर्ष की अपेक्षा 75 वर्ष के आधार पर प्रभारित किया गया था जिसके परिणामत: निवल ब्लॉक को ₹3.03 करोड़ अधिक बताया गया तथा दो वर्षों के लिए मूल्यह्रास को कम प्रभारित करने के कारण लाभ को भी अधिक बताया गया।

31. चेन्नई पत्तन न्यास

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹734.69 करोड़

31.1 31 मार्च 2019 तक एलआईसी द्वारा पेंशन देयताओं हेतु किए गऐ बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार ₹5,539.60 करोड़ की देयताएं परिगणित की गई। तथापि, 31 मार्च 2019 को पेंशन निधि में ₹3,360.09 करोड़ की समग्र निधि उपलब्ध थी। इसके परिणामत: चालू देयताएं तथा प्रावधान तथा हानि को ₹2,179.51 करोड़ कम बताया गया।

31.2 31 मार्च 2019 को एलआईसी द्वारा अवकाश नकदीकरण देयता के प्रति किए गए बीमांकिक मूल्य निर्धारण के अनुसार ₹154.44 करोड़ की देयताएं परिगणित की गई। तथापि, 31 मार्च 2019 तक अवकाश नकदीकरण निधि में उपलब्ध समग्र निधि

₹72.21 करोड़ थी। इसके परिणामत: चालू देयताओं और प्रावधानों और हानि को ₹82.23 करोड़ कम बताया गया।

32. रबड़ बोर्ड

चालू देयताएं और प्रावधान- ₹14.21 करोड़

32.1 लेखाकंन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किये। जून 2012 में अंतिम बीमांकिक मूल्य निर्धारण किया गया था, जिसके अनुसार ₹448.81 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी। इसके प्रति 31 मार्च 2019 तक पेंशन निधि में उपलब्ध शेष ₹73.94 करोड़ था। इसके परिणामत: 'आय पर व्यय का अधिक्य' कम बताएं जाने के साथ-साथ 'चालू देयताओं और प्रावधानों' को ₹374.87 करोड़ कम बताया गया।

32.2 बारहवीं योजना 2012-2017 के अंतर्गत किसानों को देय ₹25.94 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकृति के बावजूद, 31 मार्च 2019 तक भुगतान हेतु लंबित थी। बोर्ड ने वित्तीय विवरणों में उक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी, जिसके परिणामत: 'आय पर व्यय का अधिक्य' तथा 'चालू देयताओं और प्रावधानों' को ₹25.94 करोड़ कम बताया गया।

33. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

स्थाई परिसंपत्तियां- ₹465.63 करोड़

33.1 2017-18 के दौरान उपयोग हेतु रखी गई पांच परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न करने के कारण सकल ब्लॉक को ₹32.59 करोड़ तक कम बताया गया। इसके परिणामत: निवल ब्लॉक (₹27.87 करोड़), पूर्वावधि मदें (₹1.62 करोड़), मूल्यह्रास (₹3.10 करोड़) को कम बताया गया तथा चालू पूंजीगत कार्य को ₹32.59 करोड़ तक अधिक बताया गया।

33.2 2018-19 के दौरान उपयोग हेतु रखी गई तीन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न करने के कारण सकल ब्लॉक के ₹22.77 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामत: चालू पूंजीगत कार्य को ₹22.77 करोड़ अधिक बताया तथा मूल्यह्रास को ₹0.78 करोड़ एवं निवल ब्लॉक को ₹21.99 करोड़ कम बताया गया।

34. कॉयर बोर्ड

चालू देयताएं तथा प्रावधान- ₹6.35 करोड़

लेखाकंन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने ग्रेच्युटी, पेंशन, तथा अवकाश नकदीकरण (अर्जित अवकाश) के प्रति देयताओं के लिए कोई प्रावधान इस दलील पर नहीं किया कि लेखाओं को अंतिम रूप देते समय वर्ष 2018-19 के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड को विवेक के आधार पर, पिछले वर्ष (2017-18) ₹165.53 करोड़ की बीमांकिक मूल्य निर्धारण राशि के आधार पर व्यय के लिए प्रावधान उपलब्ध करना चाहिए था। उसके प्रावधान न किए जाने के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों को कम बताया गया तथा 'व्यय पर आय का अधिक्य' को अधिक बताया गया।

35. स्पाईसेस बोर्ड

प्रावधान- ₹197.54 करोड़

लेखांकन मानक- 15 के प्रावधानों के विपरीत, बोर्ड ने 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य निर्धारण नहीं किया। बोर्ड ने 2015-16 के दौरान बीमांकिक मूल्य निर्धारण किया जिसके अनुसार बीमांकिक देनदारी ₹226.23 करोड़ थी जिसके प्रति 31 मार्च 2019 को केवल ₹197.54 करोड़ का प्रावधान था।

36. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

अर्जित ब्याज- ₹4.35 करोड़

उपरोक्त में सरकार से अटल पेंशन योजना तथा स्वावलंबन योजना के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु चलाये जा रहे बचत बैंक जमा खातों पर अर्जित ब्याज की ₹1.85 करोड़ की राशि शामिल है। इस प्रकार अर्जित ब्याज 'निर्धारित/ एन्डॉमेंट निधि' के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसके परिणामत: ₹1.85 करोड़ से आय को अधिक बताया गया तथा निर्धारित निधि को कम बताया गया।

37. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

नाजुल-I

37.1 क्षतिपूर्ति से आय

वर्ष 2017-18 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एसएआर में टिप्पणी सं. ए.1.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सभी क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संबंध में अर्जित आय को दर्ज न किए जाने पर टिप्पणी की गई थी।

डीडीए ने पूर्वावधि मद के माध्यम से ₹34.90 करोड़ की क्षतिपूर्ति से हुई आय को दर्ज नहीं किया हालांकि इसे वर्ष 2017-18 के लिए सीएजी की एसएआर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित भी किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीए ने चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अनाधिकृत आवासियों से क्षतिपूर्ति प्रभार की वसूली हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। परिणामत: ₹38.31 करोड़ की प्रोद्भूत आय को लेखाकंन[3] की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों में बुक नहीं किया गया।

इसके परिणामत: वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति से आय को ₹38.31 करोड़ कम बताया गया, पूर्वावधि आय को ₹34.90 करोड़ कम बताया गया तथा विविध ऋणदाताओं को ₹73.21 करोड़ कम बताया गया और परिणामस्वरूप 'व्यय पर आय का अधिक्य' को ₹73.21 करोड़ कम बताया गया।

नाज़ुल-II

37.2 बैलेंस शीट तथा आय और व्यय लेखा तैयार न करना

नाज़ुल-II का संबंध भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा बड़े स्तर पर भू-अधिग्रहण, विकास तथा भूमि के निपटान कार्यकलापो से है। नाज़ुल-II लेखाओं के संबंध में, डीडीए ने केवल प्राप्ति और भुगतान लेखा ही तैयार किया, परिणामत: नाज़ुल-II लेखाओं की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां और देयताएं वित्तीय विवरणों में दर्शायी नहीं गई। मार्च 2019 के अंत तक इस लेखा में ₹7,899.31 करोड़ का निवेश था। लेखापरीक्षा में नियमित रूप से नाज़ुल-II के लिए बैलेंस शीट और आय तथा व्यय लेखा तैयार न किऐ जाने पर बार-बार टिप्पणी की गई है, ताकि इस लेखा से संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देयताएं सही प्रकार से प्रदर्शित की जा सके।

सामान्य विकास लेखा

37.3 ईडब्ल्यूएस हाउस रिज़र्व: ₹389.86 करोड़

---

[3] *कुल संपत्ति का क्षेत्र वर्ग गज के रूप में 9,53,050 x ₹35.50 प्रति वर्ग गज प्रति माह रिहायशी श्रेणी में न्यूनतम प्रतिपूर्ति प्रभार के रूप में*

डीडीए के वित्तीय विवरणों पर वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, तथा 2017-18 के लिए भारत के सीएजी की एसएआर में क्रमश: टिप्पणी सं. 4.2(बी), 4.3(सी), 3.1 तथा सी.1.3.1(i) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, डीडीए ने विशिष्ट आवासीय योजना- ईडब्ल्यूएस आवास पर ₹448.79 करोड़ का व्यय ईडब्ल्यूएस निधि से किया, जो कि इस विशेष रूप इस उद्देश्य के लिए सृजित थी। तथापि ईडब्ल्यूएस निधि के उपयोग से सृजित परिसंपत्तियाँ कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) तथा ईडब्ल्यूएस घरों के तैयार स्टॉक को बैलेंस शीट की अनुसूची एफ में अलग से दर्शाया नहीं गया यद्यपि ईडब्ल्यूएस निधि के प्रति निवेश, जो कि एक और परिसंपत्ति है, को अलग से दर्शाया जा रहा था। ईडब्ल्यूएस आवास (डब्ल्यूआईपी और तैयार स्टॉक) में कुल डब्ल्यूआईपी तथा बन चुके आवासों के तैयार स्टॉक का बड़ा हिस्सा है। तथापि, पृथक शीर्ष के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के उद्घाटन न किये जाने के कारण, ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण में प्रयुक्त संचयी राशि की जांच नहीं की जा सकी। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, ईडब्ल्यूएस आवासों को पृथक शीर्ष में न दर्शाया जाना पूर्ण उद्घाटन सिद्धांत के विरूद्ध है।

37.4 परिसंपत्तियां- पुराना स्टॉक- ₹2,245.04 करोड़

2017-18 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी की एसएआर के पैरा सं. सी 1.3.1(ii) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें एसएफएस/ एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों के मामले में मालसूची को ₹111.94 करोड़ अधिक बताए जाने पर टिप्पणी की गई थी।

इस वर्ष भी 1,597 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों के संबंध में मालसूची में ₹343.05 करोड़ शामिल है। संबंधित ज़ोन द्वारा यथा प्रस्तुत खाली फ्लैटों के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा 551 मामलों के विवरणों की नमूना जांच की गई और यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक इन ज़ोनल रिपोर्ट में 551 फ्लैटों के प्रति केवल 50 फ्लैट ही खाली दर्शाये गऐ थे। यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरणों हेतु विचार किए गए 551 फ्लैटों की इस सूची को 501 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों की संख्या तक अधिक बताया गया था जिसकी राशि ₹168.72 करोड़ (₹189.30 करोड़ - ₹20.58 करोड़ पूर्ण करने हेतु लागत का प्रावधान) थी। इसके परिणामत: इसी सीमा तक आय अधिक बताई गई।

चूंकि यह नमूना जांच केवल 551 एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों से संबंधित भी; लेखापरीक्षा में शेष एसएफएस/ एचआईजी फ्लैटों के साथ-साथ अन्य श्रेणियों नामत: एमआईजी/ जनता के अधिक बताए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

37.5 विविध ऋणदाता- ₹494.85 करोड़

31 मार्च 2019 को सामान्य विकास लेखा की बैलेंस शीट में डीडीए ने विविध ऋणदाताओं के रूप में ₹494.85 करोड़ की राशि दर्शायी है। प्राधिकरण ने लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 11 के अनुसार यह उद्घाटित किया कि 31 मार्च 2019 को विविध ऋणदाताओं का पार्टी वार तथा आयु वार मिलान किया विवरण अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ऋणदाताओं का पार्टी वार तथा आयु-वार ब्यौरें का रखरखाव भी नहीं कर रहा है, इस प्रकार 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट में यथा प्रदर्शित ₹494.85 करोड़ मूल्य के विविध ऋणदाताओं की प्रामाणिकता, अस्तित्व तथा वसूली योग्यता पर आश्वासन प्राप्त करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रहीं। लेखा टिप्पणियों में मात्र उद्घाटन कि ऋणदाताओं का मिलान नहीं किया गया है, पर्याप्त नहीं है।

परिशिष्ट-VII

{पैरा 1.8(ए) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली
2.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली
3.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
5.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
7.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
8.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई
9.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
10.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
11.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
12.	टी बोर्ड, कोलकाता
13.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
14.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
15.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
16.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
17.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि

परिशिष्ट-VIII

{पैरा1.8(ख) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, नई दिल्ली
2.	कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
3.	एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु कैंपस
5.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
6.	फुटवियर डिजाईन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा
7.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
8.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
9.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
10.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई
11.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
12.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिजाईन, अहमदाबाद
13.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
14.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
16.	टी बोर्ड, कोलकाता
17.	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंग्लौर
18.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई
19.	वी.ओ. चिदमबर्नर पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन
20.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि
21.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट-IX

{पैरा 1.8(ग) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2018-19 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
4.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिजाईन, अहमदाबाद
5.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
6.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप
7.	टी बोर्ड, कोलकाता
8.	वी.ओ.चिदमबर्नर पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन
9.	स्पाईसेस बोर्ड, कोच्चि
10.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट-X

{पैरा 1.8(घ) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जो प्राप्ति/ नकद आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
2.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
3.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई

परिशिष्ट-XI
{पैरा 1.8(ड) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
2.	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद
3.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई
4.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
5.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता

परिशिष्ट-XII

{पैरा 1.8(च) में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
2.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
3.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
4.	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
5.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
6.	वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन

परिशिष्ट-XIII

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

31 मार्च 2020 तक बकाया एटीएन की स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन	मंत्रालय और स्वायत्त निकाय		
			बकाया	प्राप्त नही हुआ	पत्राचार के अंतर्गत
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मार्च 2015 2016 की रिपोर्ट संख्या 11	1	-	1
2.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
		कुल	**2**	**-**	**2**

परिशिष्ट-XIV
(पैरा 2.1 में संदर्भित)

निर्माण कार्य, आंतरिक साज-सज्जा कार्य और फर्नीचर कार्य के प्रति विभिन्न संविदाकारों को लामबंदी अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यों का नाम	संविदाकार का नाम	संविदा मूल्य	लामबंदी अग्रिम
	निर्माण कार्य			
1.	हैदराबाद कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	70.66	7.07
2.	पटना कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	70.23	7.02
3.	गुजरात कैंपस	गोल्डमैन डेवलपर्स लि.	67.02	6.7
4.	पंजाब कैंपस	अनुराग एंटरप्राइज	68.97	6.9
5.	छिन्द्वारा कैंपस	भाव्या क्रिएटर्स प्रा.लि.	54.38	5.44
6.	गुना कैंपस	अनुराग एंटरप्राइज	69.95	6.99
7.	नोएडा न्यू बिल्डिंग	अनुराग एंटरप्राइज	15.55	1.56
	फर्नीचर कार्य			
8.	हैदराबाद कैंपस	रॉयल सेफ कंपनी	5.05	0.5
9.	गुजरात कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	4.58	0.46
10.	गुना कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	2.97	0.3
	आंतरिक साज-सज्जा कार्य			
11.	हैदराबाद कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	5.81	0.58
12.	गुजरात कैंपस	वास्तुसदन	5.75	0.58
13.	पंजाब कैंपस	मनु लाल एंड संस	5.53	0.55
14.	गुना कैंपस	जेपीजी इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड	4.74	0.48
		कुल	**451.19**	**45.13**

परिशिष्ट-XV
(पैरा 4.1.1.2 में संदर्भित)

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस-I)

(अगस्त 2018 तक अद्यतन किया गया)

यह योजना 1 अगस्त 2000 से लागू हुई थी और इसमें 1 जून 2000 से प्रभावी उधारकर्ताओं के लिए ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा विस्तारित पात्र ऋण सुविधाएं शामिल थीं।

<u>योजना के तहत पात्र ऋण सुविधाएं</u>

ट्रस्ट ऋण सुविधा (निधि आधारित और/ या गैर-निधि आधारित) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) द्वारा विस्तारित क्रेडिट सुविधाओं को कवर करेगा। (i) ₹50 लाख से अधिक नहीं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ वित्तीय संस्थाएं); (ii) ₹200 लाख से अधिक नहीं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (iii) सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के माध्यम से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ₹50 लाख से अधिक नहीं, ट्रस्ट के साथ एक करार में प्रवेश करने पर या उसके बाद बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/ या तीसरे पक्ष की गारंटी या ऐसी राशि जो ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

बशर्ते कि महत्वपूर्ण तारीख को

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण सुविधा मानक और नियमित (एसएमए- विशेष उल्लेख वाले खाते नही) है

(ii) उधारकर्ता का व्यवसाय या गतिविधि जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई थी, वह समाप्त नहीं हुई है; और/ या

(iii) ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना क्रेडिट सुविधा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी ऋण के समायोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है जो वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध माने गए हैं।

सीजीटीएमएसई ने 28 फरवरी 2018 को या उसके बाद ₹10 लाख से ₹100 लाख तक के मामलों के लिए एमएलआई द्वारा नई क्रेडिट सुविधाओं के लिए एमएसई खुदरा व्यापार को अपनी सीमा में शामिल किया था।

सीजीटीएमएसई ने एक नया "हाइब्रिड सिक्योरिटी" उत्पाद भी पेश किया था (फरवरी 2018), जहाँ एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक भाग के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि ऋण सुविधा का शेष असुरक्षित भाग, अधिकतम ₹200 लाख तक, सीजीएस-I के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। हालाँकि, सीजीटीएमएसई के पास प्राथमिक प्रतिभूति के साथ-साथ ऋण सुविधाओं के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक प्रतिभूति पर परि-पस्सू प्रभार है। हाइब्रिड सिक्योरिटी उत्पाद के अंतर्गत, एमएलआई के लिए कानूनी दस्तावेज के माध्यम से सीजीटीएमएसइ के पक्ष में प्रतिभूति/ प्रभार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक से अधिक बैंक और/ या वित्तीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से और/ या अलग से पात्र उधारकर्ता को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाएं, जो अलग-अलग एमएलआई की अधिकतम राशि के अधीन अधिकतम ₹200 लाख प्रति उधारकर्ता या ऐसी राशि है जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

<u>वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ)</u>

1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद एमएसई को स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई ऋण सुविधाओं के लिए पहले वर्ष के लिए गारंटी राशि पर और शेष कार्यकाल के लिए शेष राशि पर एजीएफ का प्रभार लिया जाता है जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

क्रेडिट सुविधा	**वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) [प्रति वर्ष प्रतिशत]**	
	महिलाएं, माइक्रो उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ	**अन्य**
₹5 लाख तक	1.00 *प्रतिशत* + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक	1.35 *प्रतिशत* + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	1.50 *प्रतिशत* + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम
₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक	1.80 *प्रतिशत* + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
खुदरा व्यापार (₹10 लाख से ₹100 लाख)	2.00 *प्रतिशत* + ट्रस्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रीमियम	
पहले वर्ष के लिए गारंटी राशि पर और ऋण सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर एजीएफ का शुल्क लिया जाता है		

1 अप्रैल 2018 से पहले एमएलआई द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में,ट्रस्ट ने नीचे दी गई जानकारी के अनुसार गारंटी राशि पर एएसएफ/ एजीएफ का प्रभार लगाया:

31 दिसंबर 2012 तक स्वीकृत गारंटी

क्रेडिट सुविधा	**अग्रिम गारंटी शुल्क (*प्रतिशत*)**		**वार्षिक सेवा फीस (*प्रतिशत*)**
	उत्तर पूर्व क्षेत्र (सिक्किम सहित)	**अन्य**	
₹5 लाख तक	0.75	1.00	0.50
₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक	0.75	1.50	0.75
₹50 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	1.50	1.50	0.75

1 जनवरी 2013 को या उसके बाद स्वीकृत गारंटी

क्रेडिट सुविधा	**वार्षिक गारंटी शुल्क (*प्रतिशत* प्रति वर्ष)**	
	महिलाएं, सूक्ष्म उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ (सिक्किम सहित)	**अन्य**
₹5 लाख तक	0.75	1.00
₹5 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	0.85	1.00

1 अप्रैल 2016 के बाद स्वीकृत गारंटी

ऋण सुविधा	**वार्षिक गारंटी शुल्क (*प्रतिशत* प्रति वर्ष) + जोखिम प्रीमियम (आरपी)**	
	महिलाएं, सूक्ष्म उद्यम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल इकाइयाँ (सिक्किम सहित)	**अन्य**
₹5 लाख तक	0.75 + आरपी	1.00 + आरपी
₹5 लाख से ऊपर और ₹100 लाख तक	0.85 + आरपी	1.00 + आरपी

<u>विभिन्न दरों पर वार्षिक सेवा शुल्क (एएसएफ)/ एजीएफ का शुल्क एनपीए स्तर/ एमएलआई के दावे के भुगतान के अनुपात पर निर्भर</u>

ट्रस्ट ने पहले सीजीटीएमएसई पोर्टल पर एमएलआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के स्तर के संदर्भ के बिना एएसएफ/ एजीएफ शुल्क में गैर-विवेकाधीन दृष्टिकोण अपनाया था। एमएलआई को भुगतान किए गए दावों के संदर्भ के बिना उन्हें जारी की गई गारंटियों की तुलना में गारंटी शुल्क और एमएलआई से प्राप्तियां। कुछ एमएलआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के बहुत उच्च स्तर को देखते हुए, और कुछ एमएलआई के काफी बड़ी राशि के दावों के निपटान को देखते हुए ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद स्वीकृत मामलों के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण संरचना की पहल की जिसे नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

गारंटीकृत पोर्टफोलियो में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		**दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम**	
एनपीए *प्रतिशत*	**जोखिम प्रीमियम**	**दावा भुगतान *प्रतिशत***	**जोखिम प्रीमियम**
0-5	मानक दर (एसआर)	0-5	मानक दर (एसआर)
>5-10	*एसआर का* 10 *प्रतिशत*	>5-10	*एसआर का* 10 *प्रतिशत*
>10-15	*एसआर का* 15 *प्रतिशत*	>10-15	*एसआर का* 15 *प्रतिशत*
>15-20	*एसआर का* 20 *प्रतिशत*	>15-20	*एसआर का* 20 *प्रतिशत*
>20	*एसआर का* 25 *प्रतिशत*	>20	*एसआर का* 25 *प्रतिशत*

<u>एजीएफ का भुगतान</u>

एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के पहले संवितरण (कार्यशील पूंजी के लिए लागू नहीं) की तारीख से 30 दिनों के भीतर या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट गारंटी फीस की डिमांड एडवाईस (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिन बाद, जो भी बाद में हो, या वह तारीख जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाए, पर ट्रस्ट को पहली बार वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करने की आवश्यकता होती है । बाद की अवधि के लिए एजीएफ को पहले और अंतिम वर्ष के लिए प्रो-राटा के आधार पर और बीच के वर्षों के लिए निर्दिष्ट दर पर लिया जाता है और यह हर वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रभारित होता है। मांग की गई एजीएफ को हर वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पहले या सीजीटीएमएसई द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट तारीख को एमएलआई द्वारा भुगतान किया जाएगा।

गारंटी कवरेज की सीमा

ट्रस्ट नीचे दिए अनुसार गारंटी कवरेज प्रदान करता है:

<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ग</th><th colspan="3">गारंटी की अधिकतम सीमा जहां क्रेडिट सुविधा है</th></tr>
<tr><th>₹5 लाख तक</th><th>₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक</th><th>₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म उद्योग</td><td>चूक की राशि का 85 प्रतिशत अधिकतम ₹4.25 लाख के अध्यधीन</td><td>चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹37.50 लाख के अध्यधीन</td><td rowspan="2">चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹150 लाख के अध्यधीन</td></tr>
<tr><td>महिला उद्यमी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाइयां (सिक्किम सहित) (सूक्ष्म उद्यमों को ₹5 लाख तक की क्रेडिट सुविधा के अतिरिक्त)</td><td colspan="2">चूक की राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम ₹40 लाख के अध्यधीन</td></tr>
<tr><td>एमएसई खुदरा व्यापार (₹10 लाख से ₹100 लाख तक)</td><td colspan="3">चूक की राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख के अध्यधीन</td></tr>
<tr><td>उधारकर्ता की अन्य सभी पात्र श्रेणी</td><td colspan="3">चूक की राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹150 लाख के अध्यधीन</td></tr>
</table>

₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी के अनुमोदन के सभी प्रस्तावों को आंतरिक रूप से एमएलआई द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह निवेश ग्रेड का होना चाहिए। 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद एमएलआई द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों के लिए निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा एमएसई इकाइयों को विस्तारित स्कीम के तहत प्रति उधारकर्ता की पात्र ऋण सीमा ₹100 लाख से ₹200 लाख तक की वृद्धि हुई है। कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में मौजूदा गारंटी कवर में ₹100 लाख से अधिक की वृद्धि, जहां ऐसी वृद्धि 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अनुमोदित की गई है, ₹200 लाख तक के

विस्तारित राशि के लिए भी पात्र होगी, बशर्ते कि प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशों को पूरा करता हो।

गारंटी कवर गारंटी प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होगा और सावधि ऋण/ समग्र ऋण के संबंध में सावधि क्रेडिट के सहमत कार्यकाल के माध्यम से चलेगा। जहाँ सिर्फ कार्यशील पूंजी पात्र उधारकर्ता को प्रदान की जाए, वहां गारंटी कवर 5 वर्ष की अवधि के लिए या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होगा, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की गारंटी कवर की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जाए, मानी जाएगी।

<u>गारंटी का आह्वान</u>

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को उस तारीख को सूचित करने की आवश्यकता होती है जिस पर एक विशेष कैलेंडर तिमाही में ऑनलाइन प्रणाली में निम्नलिखित विकल्प का उपयोग करके बाद की तिमाही के अंत तक खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

अगर एनपीए की तारीख 15 मार्च 2018 को या उसके बाद हो तो ऋण देने वाली संस्था एनपीए की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंदर या लॉक-इन अवधि, जो भी बाद में हो, तक ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी का आह्वान कर सकती है ।

(i) 15 मार्च 2018 से पहले एनपीए के लिए, क्लेम दायर करने के लिए समय अवधि 1 जनवरी 2013 से पहले मंजूर किए गए मामलों के लिए 1 वर्ष और 1 जनवरी 2013 के बाद स्वीकृत मामलों के लिए 2 वर्ष होगी, यदि निम्नलिखित स्थितियां संतुष्ट हैं:

(क) एनपीए बनते समय उस ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी लागू थी।

(ख) ऋण लेने वाले को ऋण की अंतिम संवितरण की दिनांक या उधारकर्ता को ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी शुरू करने की दिनांक, जो भी बाद में है, से 18 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है।

(ग) ऋण सुविधा के संबंध में ऋण देने वाली संस्था को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और बकाया राशि को ऋण देने वाली संस्था द्वारा गैर-निष्पादित सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।बशर्ते कि ऋण देने वाली संस्था उक्त ऋण सुविधा के संबंध में ट्रस्ट पर कोई दावा करने या करने के लिए हकदार नहीं होगी, यदि उक्त ऋण सुविधा के संबंध में

नुकसान ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के विपरीत या विरोधी कार्रवाईयों/ निर्णयों के कारण हुआ हो।

(घ) ऋण सुविधा वापस ले ली गई है और कानून की उचित प्रक्रिया के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। एसएआरएफएइएसआई अधिनियम 2002 के तहत महज़ वापसी सूचना जारी करने को सीजीएस के तहत दावे को दर्ज करने के उद्देश्य से कानूनी कार्यवाही के आरंभ के रूप में नहीं माना जा सकता है। एमएलआई को एसएआरएफएइएसआई अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) में निहित आगे की कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार किसी भी एक या अधिक वसूली उपायों में से एक ले सकता है, जिसमें पहले गारंटी राशि की किश्त के दावे प्रस्तुत करने से पहले संकेत दिए गए चार उपायों में से एक है। यदि एमएलआई उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) में इंगित कार्रवाई में से कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे किसी अन्य लागू कानून के तहत नए सिरे से वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और ट्रस्ट से पहली किश्त के लिए दावा मांग सकते हैं।

(ड.) हालांकि, 14 मार्च 2018 को या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के मामले में, गारंटी के आह्वान के लिए पूर्व शर्त के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू करना उन ऋण सुविधाओं के लिए माफ किया जाएगा, जो कुल मिलाकर ₹50,000/- तक बकाया है। ऐसी सभी स्थितियों के लिए, जहाँ कानूनी कार्यवाही के दायर करने को माफ कर दिया जाता है, एक सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) की समिति की अध्यक्षता में एक अधिकारी जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक के रैंक से कम नहीं होती है, को ऐसे सभी खातों की जाँच करनी चाहिए और कानूनी पहल नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए, और योजना के तहत दावा दायर करने के लिए।

(च) संबंधित एमएलआई के दावों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रेषित की गई वसूली सहित शुल्क के दो गुना की सीमा तक निपटाया जाएगा। कुल शुल्क के दो गुना से अधिक प्राप्त/ प्राप्त किए गए किसी भी दावे को एमएलआई द्वारा पुनर्प्राप्त की गई वसूली सहित निलंबित किया जाएगा, जब तक कि इस स्थिति को समाप्त नहीं किया जाता है यानी भुगतान की उच्चतम सीमा के भीतर भुगतान लाया जाता है।

(ii) ऋण संस्थान द्वारा दावे को उस प्रकार और उतने समय में दर्ज किया जाना चाहिए जैसे ट्रस्ट की ओर से निर्दिष्ट किया गया हो।

(iii) ट्रस्ट ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र दावे को दर्ज करने पर 30 दिनों के अंदर 75 *प्रतिशत* की गारंटी राशि का भुगतान करेगा, यदि दावा अन्यथा सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाए। ट्रस्ट 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए प्रचलित बैंक दर पर पात्र दावा राशि पर ऋण संस्था के ब्याज का भुगतान करेगा। गारंटीकृत राशि का 25 *प्रतिशत* शेष वसूली कार्यवाही के समापन पर या जब तक निर्णय समय बाधित हो जाए, तब भुगतान किया जाएगा। सीजीटीएमएसई परिपत्र संख्या 62 और 135 के अनुसार, 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद मंजूर किए गए ऋणों के लिए, गारंटी राशि के 25 *प्रतिशत* का भुगतान ऋण संस्था द्वारा वसूली कार्यवाही के समापन पर या वसूली के निर्णय के तीन वर्ष के बाद किया जाएगा, जो भी पहले हो। भुगतान किए जा रहे दावे पर, ट्रस्ट को संबंधित उधारकर्ता के संबंध में गारंटी के आधार पर उसकी सभी देनदारियों से छुट्टी दे दी गई समझा जाएगा। हालाँकि, एमएलआई को सीजीटीएमएसई द्वारा पूर्ण गारंटीकृत राशि के भुगतान के बाद इकाई से प्राप्त किसी भी राशि को वापस करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए।

(iv) चूक की स्थिति में, ऋणदात्री संस्था अपने अधिकारों, यदि कोई हो, का प्रयोग करेगी, और उधारकर्ताओं की संपत्ति पर कब्ज़ा करेगी और ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, ट्रस्ट को गारंटी राशि के शेष 25 *प्रतिशत* का दावा करने से पहले, पूरी तरह से जमा कर दी जाएगी।

(v) ट्रस्ट द्वारा भुगतान किए गए दावे को वापस करने के लिए ऋणदात्री संस्था उत्तरदायी होगी, जो प्रचलित बैंक दर से 4 *प्रतिशत* की दर से दंडनीय ब्याज के साथ होगी, यदि वापसी की मांग ट्रस्ट द्वारा गंभीर कमियों की मौजूदगी में की जाती है, जैसे ऋण सुविधा के मूल्यांकन/ नवीकरण/ अनुवर्ती/ आचरण के मामले में या जहां दावा एक से अधिक बार दर्ज किया गया था या जहां दावों के निपटान के लिए ऋण संस्थानों की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का दमन मौजूद था। ऋणदात्री संस्था ट्रस्ट द्वारा दावे की प्रारंभिक निर्गम दिनांक से वापसी की दिनांक तक ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर इस तरह के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगी।

(vi) एमएलआई, सीजीटीएमएसई पोर्टल में दावे की पहली किश्त के बाद प्राप्त राशि/ ओटीएस राशि को अद्यतन कर सकते हैं।

(vii) पहले दावे के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के दौरान, एमएलआई को घोषणा और वचन (डीएंडयू) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणाली में प्रदर्शित जाँच सूची के साथ जमा करना होता है।

(viii) एमएलआई के संबंधित परिचालन कार्यालयों के अलावा अन्य शाखाओं या कार्यालयों से सीधे प्राप्त किए गए गारंटी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-XVI

(पैरा 4.1.1.2 में संदर्भित)

सीजीएस-I और सीजीएस-II के बीच अंतर के प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I				सीजीएस-II
1.	गारंटी का प्रकार	लेन-देन की गारंटी (व्यक्तिगत खाता वार)				पोर्टफोलियो गारंटी
2.	पात्र खातों के लिए उच्चतम सीमा ब्याज दर (गारंटी की लागत सहित)	14 *प्रतिशत* प्रति वर्ष				कोई उच्चतम सीमा नही
3.	व्यक्तिगत खातो के लिए गारंटी सुरक्षा की सीमा	**वर्ग**	**₹5 लाख तक का ऋण**	**₹5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक का ऋण**	**₹50 लाख से ऊपर का ऋण**	पोर्टफोलियो में शामिल व्यक्तिगत खातों के बकाया राशि के 75 *प्रतिशत* तक (एमएलआई द्वारा चयन किया गया) की अधिकतम गारंटी सुरक्षा (या समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे अन्य प्रतिशत)।
		सूक्ष्म उद्यम	चूक की राशि	चूक की राशि का	चूक की	

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I				सीजीएस-II
			का 85 *प्रतिशत* (अधिकतम ₹4.25 लाख)	75 *प्रतिशत* (अधिकतम ₹37.50 लाख)	राशि का 75 *प्रतिशत*	
		महिला उद्यमी/ उ.पू में इकाइयाँ/ ₹5 लाख से ऊपर की सुविधा	चूक की राशि का 80 *प्रतिशत* (अधिकतम ₹40 लाख)			
		उधारकर्ताओ के अन्य सभी वर्ग	चूक की राशि का 75 *प्रतिशत* (अधिकतम ₹37.50लाख)			
4.	ऋण जोखिम सीमा की स्वीकृति	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में पंजीकरण के समय ऋण जोखिम सीमा बैंकों/ आरआरबी/ एफआई को स्वीकृति नहीं की जाती है				वित्तीय वर्ष के लिए एनबीएफसी को ऋण जोखिम की सीमा विस्तृत मूल्यांकन के बाद स्वीकृत की जाएगी।
5.	भुगतान की उच्चतम सीमा	पिछले वित्त वर्ष में एमएलआई द्वारा भुगतान किया गया शुल्क का 2 गुना उच्चतम सीमा भुगतान निर्धारित है				एनबीएफसी को दी गई प्रत्येक ऋण जोखिम सीमा के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा निश्चित की जाएगी।
6.	गारंटी सुरक्षा के लिए खातों का प्रस्तुतिकरण	एमएलआई को आगामी तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च से पहले अर्थात क्रमश: जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून की तिमाही में स्वीकृत ऋण प्रस्तावों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन करना होगा।				बैच अपलोड की त्रैमासिक प्रस्तुति

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I	सीजीएस-II
7.	गारंटी शुल्क का भुगतान	ऋण सुविधा (डब्ल्यूसी सुविधा के अलावा) के लिए पहली बार वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान पहले भुगतान के 30 दिनों के अंदर या गारंटी फीस की मांग सलाह (सीजीडीएएन) की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर किया जाना आवश्यक है। डब्ल्यूसी सुविधा के लिए, एजीएफ को सीजीडीएएन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना है। आगे के वर्षों के लिए, एजीएफ को सीजीटीएमएसई द्वारा मांग की दिनांक से 60 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना आवश्यक है।	पोर्टफोलियो के प्रत्येक बैच पर निर्दिष्ट दर पर गारंटी शुल्क का भुगतान ट्रस्ट को संस्था द्वारा किया जाएगा, जो प्रत्येक बैच के जमा करने की दिनांक से 30 दिनों के अंदर या गारंटी शुल्क की मांग सलाह (सीजीडीएएन) की दिनांक से 30 दिनों के अंदर जो भी पहले या ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट दिनांक है। हालांकि, गारंटी सुरक्षा ऐसे भुगतान की प्राप्ति की दिनांक से शुरू होगा।
8.	लॉक-इन अवधि और दावों का प्रस्तुतीकरण/गारंटी का आह्वान	प्रत्येक खाते के लिए, सीजीएस के अंतर्गत 18 महीने की लॉक-इन अवधि है। यह 18 महीने की लॉक-इन अवधि खाते के अंतर्गत अंतिम संवितरण की दिनांक या गारंटी कवर की शुरुआत जो भी बाद में है की दिनांक से है। एमएलआई लॉक-इन अवधि या एनपीए चालू करने की दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर खाते के संबंध में गारंटी का आह्वान कर सकता है, जो भी बाद में हो। दावा केवल डीआरटी/ राजस्व वसूली प्राधिकरण/लोक अदालत/ सिविल	एमएलआई के प्रत्येक पोर्टफोलियो को प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप दिया जाएगा जिसमें पोर्टफोलियो का निर्माण किया गया है।एनपीए खातों के लिए

क्र. सं.	विवरण	सीजीएस-I	सीजीएस-II
		कोर्ट/ एसएआरएफइएसआई आदि के साथ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बाद दर्ज किया जा सकता है। एसएआरएफइएसआई के मामले में, एमएलआई को प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार सुरक्षित संपत्ति पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।	दावे दर्ज किए जा सकते हैं और जिसके लिए कानूनी कार्रवाही (एसएआरएफइएसआई अधिनियम, धारा 38, मध्यस्थता कार्यवाही, प्रत्यागमन और संपत्ति की बिक्री आदि), अपरिवर्तनीय मांग सूचना ऋण वापसी सुचना जारी करने के बाद शुरू किया गया है। एसएआरएफइएसआई के मामले में, एमएलआई को प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार सुरक्षित संपत्ति पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।

परिशिष्ट-XVII
(पैरा 4.1.2.2 में संदर्भित)

दूसरे (एशियाई) देशों के गारंटी संस्थानों के साथ सीजीटीएमएसई की तुलना दर्शाने वाला विवरण

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
कॉर्पस योगदान	सरकार और बैंक	सरकार	केंद्र/ राज्य सरकार	सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया	सरकार	सरकार और सिडबी
प्राधिकरण	केओडीआईटी एक्ट	जेएफसी एक्ट	क्रेडिट गारंटी निगम कानून अधिनियम	सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया	सरकार	एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
गारंटी प्रकार	उद्यम के लिए प्रत्यक्ष/ उधारदाताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष	विक्रेताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष (अन्य क्रेडिट गारंटी निगमों (सीजीसी) के माध्यम से)	प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	उधारदाताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष
क्रेडिट निर्धारण	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार	1. क्रेडिट गारंटी सेवा 2. क्रेडिट बीमा सेवा 3. अवसरचना क्रेडिट सेवा 4. एसएमई के लिए केओडीआईटी प्रबंधन परामर्श	1. क्रेडिट बीमा सेवा	1. क्रेडिट गारंटी सेवा (अन्य 51 सीजीसी के माध्यम से)	1. परम्परागत योजना 2. इस्लामिक योजनाएँ 3. सरकारी वित्त पोषित योजनाएं 4. रिबेट तंत्र 5. सीजीसी विकास कार्यक्रम	1. एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी सेवा (सूक्ष्म क्रेडिट कार्यक्रम) 2. खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा के लिए ऋण मवेशी प्रजनन के लिए ऋण	1. बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसीके लिए सीजीएस-I और II 2. हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत गारंटी सेवा 3. खुदरा व्यापारियों के लिए योजना (सभी

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
						एमएलआईके माध्यम से)
लेनदारों के प्रकार	1. बैंक 2. एनबीएफसी 3. सरकारी संस्थाए	1. बैंक 2. वित्तीय संस्थाए	1. वित्तीय संस्थाए	1. वित्तीय संस्थाए	1. बैंक 2.एनबीएफसी	1. एसएफबी सहित बैंक 2. वित्तीय संस्थाए 3. एनबीएफसी
कवरेज का प्रतिशत	आवश्यकता अनुसार	80 *प्रतिशत*	80 *प्रतिशत से* 100 *प्रतिशत*	एसएमई के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर 30 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत*		बैंकों के लिए 75 *प्रतिशत*, 80 *प्रतिशत*, 85 *प्रतिशत* (उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर) एनबीएफसी के लिए 50 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत*
कवर किए गए उद्यमों के प्रकार	एसएमई	एसएमई (विदेशी एसएमई सहित)	एसएमई	एसएमई	एसएमई	एमएसई
गारंटी फीस	0.5 *प्रतिशत से* 3 *प्रतिशत*	1. गारंटी 0.45 *प्रतिशत*- 1.90 *प्रतिशत* 2. बीमा 0.25 *प्रतिशत*- 1.69 *प्रतिशत*	प्रदान की गई गारंटी के प्रकार पर 0.39 *प्रतिशत* से 2.20 *प्रतिशत*	योजना के आधार पर अलग-अलग दरें	-	1 *प्रतिशत*, 1.35 *प्रतिशत*, 1.50 *प्रतिशत* 1.8 *प्रतिशत*, 2 *प्रतिशत* तक (उधारकर्ता / संस्था के प्रकार के आधार पर)

मापदंड	केओडीआईटी	जेएफसी	जेएफजी	सीजीसीएम	पीयूजेकेआई	सीजीटीएमएस
कार्यालयों की सं.	117	154	186	2600	56	1
कर्मचारियों की सं.	2381	7364	6211	सुचना उपलब्ध नही है		45
निधि का आकार (यूएस $)	$4.1 बिलियन	$16.37 बिलियन	$16.69 बिलियन			$1.5 बिलियन

परिशिष्ट-XVIII
(पैरा 4.1.3.1 में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सीजीटीएमएसई की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आय का स्त्रोत					
निवेश पर ब्याज	439.53	438.28	427.25	523.87	688.55
म्यूच्यूअल फण्ड से आय[1]	0.00	0.00	3.75	13.31	13.79
गारंटी शुल्क	166.83	159.67	174.06	178.49	207.79
वार्षिक गारंटी शुल्क	84.27	228.35	344.35	441.07	508.69
वार्षिक सेवा शुल्क	213.74	151.35	84.02	32.98	9.63
दावा भुगतान किए गए खाते पर एमएलआई द्वारा वसूली	31.50	57.93	125.50	177.94	209.63
अन्य[2]	0.09	0.13	0.38	0.30	62.88
कुल आय	**935.96**	**1,035.71**	**1,159.31**	**1,367.96**	**1,700.96**
व्यय					
संचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	6.86	6.87	6.72	7.70	9.79
गारंटी दावों का प्रावधान	1,108.03	1,020.73	1,126.11	1,314.84	1,607.58
अन्य[3]	0.15	0.26	0.20	0.22	0.23
कुल व्यय	**1,115.04**	**1,027.86**	**1,133.03**	**1,322.76**	**1,617.60**
व्यय से अधिक आय	**(179.08)**	**7.85**	**26.28**	**45.20**	**83.36**

स्त्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा किये गये वित्तीय विवरण

नोट:

- गारंटी फीस नए गारंटी कवर को प्राप्त करने के लिए एमएलआईद्वारा देय एक बार की फीस है, जबकि वार्षिक सेवा फीस (एएसएफ) गारंटी कवर को जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एमएलआई द्वारा देय है।
- ट्रस्ट ने सीजीएस-I को संशोधित किया (अक्टूबर 2012) और एक समग्र गारंटी शुल्क अर्थात वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के लिए एमएलआई द्वारा देय था। एएसएफ 1 जनवरी 2013 से पहले स्वीकृत ऋण सुविधाओं के लिए लागू रहा।

---

[1] ट्रस्ट ने ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष योजना-विकास के साथ जमा निधि में निवेश किया।

[2] अन्य आय में विविध आय, दंड ब्याज आय और मूल्यह्रास वापस लिखा गया और आयकर की वापसी पर ब्याज शामिल है।

[3] अन्य व्यय में सेवा कर पर ब्याज, बैंक शुल्क और मूल्यह्रास शामिल है।

परिशिष्ट-XIX

(पैरा 4.1.4.5 में संदर्भित)

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में देरी और अन्य विसंगतियों को दर्शाने वाला विवरण

आवेदन पत्र जहां गारंटी कवर के लिए एमएलआई द्वारा आवेदन जमा करने की दिनांक अनुमोदन की दिनांक से पहले थी

सीजीपीएएन	गारंटी राशि	आवेदन स्वीकृति की तारीख	आवेदन जमा करने की तारीख	अंतर (दिनों में)
सीजी20160302371टीसी	30,00,000	28-03-2026	14-06-2016	3,573
सीजी20150197462टीसी	1,70,000	09-07-2015	06-07-2015	2
सीजी20150231251टीसी	25,000	09-07-2018	13-08-2015	1,060
सीजी20160186422टीसी	7,50,000	04-12-2016	22-03-2016	257
सीजी20150068920टीसी	3,00,000	12-01-2020	27-02-2015	1,779
सीजी20160229087टीसी	19,00,000	25-05-2016	04-05-2016	20
सीजी20150167093टीसी	2,79,150	01-07-2015	15-06-2015	15
सीजी20160350126टीसी	3,64,000	18-07-2016	16-07-2016	1
सीजी20150126047टीसी	15,00,000	25-04-2016	05-05-2015	355
सीजी20150050094टीसी	6,00,000	28-03-2015	04-03-2015	24
सीजी20150223743टीसी	5,00,000	06-07-2022	04-08-2015	2,528
सीजी20150263526टीसी	1,78,000	17-09-2015	15-09-2015	1
सीजी20170072844टीसी	1,45,000	23-04-2017	27-03-2017	26
सीजी20160104496टीसी	2,60,000	02-12-2016	05-03-2016	271
सीजी20160304361टीसी	16,30,000	26-06-2016	22-06-2016	3
सीजी20170011596टीसी	11,44,000	29-12-2017	13-01-2017	349
सीजी20180077781टीसी	3,63,750	14-07-2018	19-05-2018	55

एमएलआई द्वारा गारंटी कवर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी

क्र.सं.	एमएलआई के प्रकार	विलंब से प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	कुल विलंबित प्रस्तावों का *प्रतिशत*	गारंटी सुरक्षा की राशि (₹ करोड़ में)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	35,692	90.46	1,202.54
2.	निजी क्षेत्र के बैंक	1337	3.39	27.58
3.	विदेशी बैंक	7	0.02	2.60
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,412	6.11	25.78
5.	अन्य ऋण संस्थान	8	0.02	2.42
कुल		**39,456**	**100**	**1,260.92**

गारंटी कवर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में एमएलआई-वार विलंब दर्शाने वाला विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	इलाहाबाद बैंक	880	34.32	181-273
2.	आन्ध्रा बैंक	424	13.09	181-272
3.	बैंक ऑफ़ बड़ोदा	1360	62.37	181-1871
4.	बैंक ऑफ़ इंडिया	5347	223.35	181-1848
5.	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	369	29.76	181-1176
6.	कैनरा बैंक	11876	306.39	181-374
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	445	18.95	181-2033
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	705	39.43	181-3809
9.	देना बैंक	205	12.47	181-366
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	20	3.00	181-372
11.	इंडियन बैंक	480	20.52	181-269
12.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1278	39.28	181-1749
13.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	143	7.95	181-258

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	64	1.46	181-251
15.	पंजाब नेशनल बैंक	4223	118.81	181-2012
16.	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	1	0.03	208
17.	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	3	0.01	190-197
18.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	3015	122.60	181-2309
19.	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	10	0.30	181-259
20.	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	1	0.65	252
21.	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	4	0.04	181-1907
22.	सिंडिकेट बैंक	1852	73.19	181-302
23.	यूको बैंक	172	4.68	181-367
24.	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	2685	59.19	181-1072
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	64	5.42	181-235
26.	विजया बैंक	66	5.25	181-300
	कुल	**35,692**	**1,202.54**	

निजी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	21	0.71	182-266
2.	एचडीएफसी बैंक लि.	17	3.37	184-267
3.	आईसीआईसीआई बैंक	1	0.03	255
4.	कर्नाटका बैंक लिमिटेड	13	1.57	183-215
5.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	1	0.19	210
6.	लक्ष्मी विलास बैंक	2	0.26	196-198
7.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक	26	1.15	182-242

8.	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1246	19.47	181-273
9.	दि नैनीताल बैंक लि.	1	0.02	183
10.	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	8	0.31	182-243
11.	यस बैंक लिमिटेड	1	0.50	190
	कुल	**1,337**	**27.58**	

विदेशी बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	ड्यूश बैंक	7	2.60	181-370
	कुल	**7**	**2.60**	**-**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्र.सं.	एमएलआई का नाम	गारंटी कवर की सं.	गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिन)
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	366	2.42	181-271
2.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	111	1.82	181-272
3.	बरोडा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	3	0.03	182-297
4.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	181	0.69	181-265
5.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	5	0.11	187-253
6.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	6	0.22	194-251
7.	कावेरी ग्रामीण बैंक	2	0.06	192-212
8.	केरला ग्रामीण बैंक	57	1.27	181-1784
9.	लान्ग्पी देहान्गी रूरल बैंक	2	0.08	188-263
10.	पल्लवन ग्राम बैंक	14	0.09	181-229
11.	पांडयन ग्राम बैंक	1397	15.43	181-888
12.	प्रगती कृष्णा बैंक	81	1.51	181-246
13.	सर्वा हरयाणा बैंक	7	0.10	187-245
14.	सर्वा यू.पी. ग्रामीण बैंक	87	1.27	181-261
15.	सतलज बैंक	3	0.01	181-270

16.	तेलन्गाना ग्रामीण बैंक	82	0.51	183-260
17.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	8	0.16	182-235
	कुल	**2,412**	**25.78**	

अन्य ऋण संस्थाएं

क्र. सं.	**एमएलआई का नाम**	**गारंटी कवर की सं.**	**गारंटी कवर की राशि (करोड़ में)**	**विलंब की सीमा (दिन)**
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	4	1.19	186-462
2.	जम्मू एंड कश्मीर डवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन	1	0.30	227
3.	स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया	3	0.93	196-305
	कुल	**8**	**2.42**	

परिशिष्ट-XX

(पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (क) में संदर्भित)

पूर्व में वसूली किए गए अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की अनुमानित लागत और नए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित लागत

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	भागीदारी हिस्सों के साथ भाग लेने के हित वाले संघीय साझेदार (प्रतिशत)	पूर्व में वसूल की गयी अनंतिम राशि (यूएसडी मिलियन में)	संशोधित राशि (अनंतिम) (यूएसडी मिलियन में)	संघ द्वारा भुगतान/ भुगतान की जाने वाली अंतर राशि (यूएसडी मिलियन में)
			ए	बी	सी=बी-ए
ओएनजीसी ब्लाक					
1.	एमबी-डीडब्लूएन-2000/1	ओएनजीसी (85), आईओसी (15)	11.63	17.83	6.20
2.	जीएस-डीडब्लूएन-2000/1	ओएनजीसी (100)	3.93	5.46	1.53
3.	जीएस-डीडब्लूएन-2000/2	ओएनजीसी (85), जीएआईएल (15)	7.37	10.92	3.55
4.	एमबी-डीडब्लूएन-2000/2	ओएनजीसी (50), जीएआईएल (15), आईओसी (15), ओआईएल (10), जीएसपीसी (10)	5.68	9.51	3.83
5.	केके-डीडब्लूएन-2000/4	ओएनजीसी (100)	2.54	6.53	4.00
6.	एमबी-ओएसएन-97/4	ओएनजीसी (70), आईओसी (30)	2.73	3.29	0.57

		कुल	**33.88**	**53.56**	**19.68**
आरआईएलब्लाक					
1.	केजी-ओएसएन-97/3	आरआईएल (100)	7.28	10.83	3.56
2.	केजी-ओएसएन-97/4		2.65	4.38	1.74
3.	जीके-ओएसएन-97/1		2.90	5.43	2.52
4.	एमबी-ओएसएन-97/3		6.98	7.76	0.77
		कुल	**19.81**	**28.40**	**8.59**

परिशिष्ट-XXI

(पैरा 5.1.4.1 का उप-पैरा (ख) में संदर्भित)

33 ब्लॉक के संबंध में सरकारी और निजी कंपनियों से द्वारा अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की गैर-वसूली लागत

(एनइएलपी राउंड I से VII तक)

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
1.	सीवाई-पीआर-डीडब्लूएन-2004/1 **ओएनजीसी**	ओएनजीसी-70, जीएसपीसी-10, एचपीसीएल-10, जीएआईएल-10	14.11.2012	13.01.2013	0	28.09.2017	19.18	20.08.2018	19.82	0	0	0	-	19.82	19.82	0
2.	जीएस-ओएसएन-2001/1**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-100	11.03.2008	10.05.2008	0	25.08.2009	13.45	05.09.2014	13.45	0	0	0	-	13.45	13.45	0

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
3.	एमएन-ओएसएन-97/3**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-85, जीएआईएल-15	14.09.2007	14.11.2007	0	15.04.2010	7.41	11.06.2010	7.41	0	0	0	-	7.41	7.41	0
4.	एएन-डीडब्लूएन-2003/1**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-100	04.12.2012	03.02.2013	0	10.09.2013	7.45	29.12.2014	7.45	0	0	0	-	7.45	7.45	0
5.	एमबी-ओएसएन-2000/1**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-75, आईओसी-15, जीएसपीसी-15	15.05.2008	14.07.2008	0	08.02.2010	2.18	09.11.2012	2.18	0	0.45	0	02.12.2015 तथा 09.02.2016	1.74	1.74	0
6.	एमएन-ओएसएन-2000/1**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-100	15.02.2007	14.04.2007	0	15.09.2009	2.68	03.11.2009	2.68	0	0.86	0	02.03.2015	1.82	1.82	0
7.	सीवाई-	ओएनजीसी-	21.11.2012	20.01.2013	0	28.05.2019	19.61	08.08.2019	19.61	0	0	0	-	19.61	19.61	0

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	डीडब्लूएन-2004/3**ओएनजीसी**	70, जीएसपीसी-10, एचपीसीएल-10, जीएआईएल-10														
8.	एनइसी-डीडब्लूएन-2002/2**ओएनजीसी**	ओएनजीसी-100	17.09.2014	17.11.2014	0	09.10.2017	11.82	16.01.2019	11.82	0	10.52	0	14.05.2020	1.30	1.30	0
9.	एए-ओएनएन-2002/3 **ओआईएल**	ओआईएल-30, ओएनजीसी-70	24.09.2014	23.11.2014	0	20.03.2017	0.55	03.08.2018	0.55	0	0.43	0	04.01.2016, 08.01.2016 & 08.10.2018	0.12	0.12	0
10.	एए-ओएनएन-	ओआईएल-	29.05.2010	28.07.2010	0	07.11.2013	7.85	19.02.2015	7.85	0	4.27	0	अप्रैल/मई	3.58	3.58	0

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	2003/3 **ओआईएल**	85, एचपीसीएल-15											2013			
11.	आरजे-ओएनएन-2004/3 **ओआईएल**	ओआईएल-60, जीइओग्लोबल-25, एचपीसीएल-15	21.01.2012	20.03.2012	0	07.11.2013	10.23	17.03.2015	10.23	3.51	5.07	0	24.05.2012, 26.07.2020, 16.02.2017	1.66	0	1.66
12.	आरजे-ओएनएन-2005/2 **ओआईएल**	ओआईएल-60, एचओइसी-20, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी-20	24.12.2015	22.02.2016	0	10.05.2018	9.14	07.08.2019	9.14	0	4.18	0	23.03.2016	4.96	1.30	3.66
13.	आरजे-ओएनएन-2005/3	जीएसपीसी-60,	29.12.2014	27.02.2015	0	09.12.2016	9.35	22.05.2018	9.35	0	4.49	0	18.12.2015, 15.03.2016	4.87	4.87	0

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	जीएसपीसी	ओएनजीसी-40														
14.	आरजे-ओएनएन-2004/1**जीएसपीसी &जीएआईएल**	जीएसपीसी-22.225, जीएआईएल-22.225, एचपीसीएल-22.22, एचएएलएलडब्लूओआरटीएचवाई-11.11, एनआईटीआईएनएफआईआरइ-11.11, बीपीसीएल-11.11	05.05.2013	04.06.2013	0	07.11.2013	2.24	31.10.2014	2.24	0.35	1.81	0	मार्च 2014 - सितम्बर2019	0.08	0	0.08

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
15.	एसआर-ओएसएन-97/1 **आरआईएल**	आरआईएल-100	29.10.2006	28.12.2006	0	07.07.2014	15.70	10.03.2015	15.70	0	0	0	-	15.70	0	15.70
16.	केजी-ओएसएन-2001/1 **आरआईएल**	आरआईएल-100	17.03.2018	16.05.2008	0	11.12.2012	3.46	23.09.2013	3.46	0	0	0	-	3.46	0	3.46
17.	केजी-डीडब्लूएन-98/1 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	31.12.2010	27.02.2011	0	27.01.2015	78.75	25.05.2018	78.75	0	0	0	-	78.75	0	78.75
18.	एमएन-डीडब्लूएन-2003/1 **आरआईएल**	आरआईएल-55, एनआईकेओ-15, बीपीइएएल-30	04.06.2013	03.08.2013	0	07.11.2013	61.31	04.06.2015	61.31	0	18.00	11.47	20.06.2012	43.31	0	43.31
19.	एमएन-डीडब्लूएन-	आरआईएल-70,	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	28.08.2014	19.83	0	6.00	0	12.07.2013	13.83	0	13.83

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	2004/1 **आरआईएल**	बीपीइएएल-30														
20.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/2 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	13.01.2015	19.83	0	6.00	0	12.07.2013	13.83	0	13.83
21.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/3 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	14.11.2012	13.01.2013	0	07.11.2013	19.83	05.03.2015	19.83	0	6.00	0	11.01.2013	13.83	0	13.83
22.	केजी-डीडब्लूएन-2004/4 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	20.11.2012	19.01.2013	0	07.11.2013	20.19	17.11.2014	20.19	0	6.00	0	18.07.2013	14.19	0	14.19
23.	केजी-डीडब्लूएन-2004/7 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	22.11.2012	21.01.2013	0	07.11.2013	20.19	12.11.2014	20.19	0	6.00	0	18.01.2013	14.19	0	14.19

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
24.	केजी-डीडब्लूएन-2001/1 **आरआईएल**	आरआईएल-60, बीपीइएएल-30, एचइपीआई-10	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	24.50	18.02.2015	24.50	0	6.00	3.83	22.06.2012	18.50	0	18.50
25.	एमएन-डीडब्लूएन-98/2 **आरआईएल**	आरआईएल-100	06.03.2011	05.05.2011	0	24.03.2014	44.92	27.04.2015	44.92	0	0	0	*	44.92	0	44.92
26.	केके-डीडब्लूएन-2001/2 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	13.43	09.03.2015	13.43	0	6.00	3.84	27.06.2012	7.43	0	7.43
27.	केके-डीडब्लूएन-2001/1 **आरआईएल**	आरआईएल-70, बीपीइएएल-30	22.01.2012	22.03.2012	0	07.11.2013	13.43	09.03.2015	13.43	0	6.00	3.84	27.06.2012	7.43	0	7.43
28.	एमएन-	आरआईएल-	20.11.2012	19.01.2013	0	07.11.2013	19.83	05.03.2015	19.83	0	6.00	0	18.01.2013	13.83	0	13.83

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	डीडब्लूएन-2004/4 **आरआईएल**	70, बीपीइएएल-30														
29.	एए-ओएनएन-2003/2 **जिओ पेट्रोल**	जीपीआई30 एनटीपीसी 40, सीआरएल 15, ब्राउनस्टोन 15	08.04.2010	07.06.2010	0	16.08.2010	18.79	14.01.2011	18.79	4.74	0	0	11.05.2010 तथा 17.05.2010	14.05	7.52	6.54
30.	सीबी-ओएनएन-2005/8 **वसुंधरा**	वसुंधरा-100	16.01.2012	18.03.2012	0	21.10.2013	20.62	08.05.2014	20.62	0.23	0	0	13.05.2014	20.40	0	20.40
31.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	एनएएफटीओ जीएजेड-10, आरएलआरएन	10.01.2013	12.03.2013	0	17.06.2013	15.07	06.01.2015	15.07	1.57	0	0	मार्च-13	13.51	0	13.51

क्र.सं.	ब्लाक एंड प्रचालक	संघीय भागीदारी (*प्रतिशत*)	अन्वेषण चरण का अंत/ अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी की स्वीकृति के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (यूएसडी एमएन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (यूएसडी एमएन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (यूएसडी एमएन में)			शेष (यूएसडी एमएन में)	कंपनियों से बकाया वसूली(यूएसडी एमएन में)	
			दिनांक	दिनांक		दिनांक		दिनांक			सीओयूएम डब्लूपी	ब्याज	दिनांक		सरकारी	निजी
	एनएएफटीओजीए जेड	10, जीएन पेट्रो 10, आरइएल 70														
32.	एए-ओएनएन-2004/4 **एनएएफटीओजीए जेड**	एइएल 35, एआईएसपीएल 20, डब्लूपीपीएल35 एनएएफटीओजीएजेड- 10	10.01.2013	10.03.2013	0	03.07.2013	10.58	07.01.2016	9.85	1.86	0	0	22.01.2013/ 28.03.2013	7.99	0	7.99
33.	सीवाई-ओएनएन-2003/1 **एनआईकेओ**	एनआईकेओ-100	21.03.2011	20.05.2011	0	29.11.2012	1.84	11.11.2014	1.84	0	0	0	-	1.84	0	1.84
									565.16	**12.25**	**104.06**			**448.85**	**89.99**	**358.86**

परिशिष्ट-XXII

(पैरा 5.1.4.1 के उप-पैरा (ख) और (ग) में संदर्भित)

समाप्त न हुए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की गणना और अनुमोदन में विलंब

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
एनइएलपी राउंड I से VII									
1.	आरजे-ओएनएन-2005/3	29-12-2014	27-02-2015	09-12-2016	711	23.70	22-05-2018	529	17.63
2.	सीवाई-पीआर-डीडब्लूएन-2004/1	14-11-2012	13-01-2013	28-09-2017	1779	59.30	20-08-2018	326	10.87
3.	जीएस-ओएसएन-2001/1	11-03-2008	12-05-2008	25-08-2009	532	17.73	05-09-2014	1837	61.23
4.	सीबी-ओएनएन-2005/8	16-01-2012	18-03-2012	21-10-2013	644	21.47	08-05-2014	199	6.63

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
5.	एमएन-ओएसएन-97/3	15-09-2007	15-11-2007	15-04-2010	943	31.43	11-06-2010	57	1.90
6.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	10-01-2013	12-03-2013	17-06-2013	158	5.27	06-01-2015	568	18.93
7.	एए-ओएनएन-2002/3	24-09-2014	23-11-2014	20-03-2017	908	30.27	03-08-2018	501	16.70
8.	सीवाई-ओएनएन-2003/1	21-03-2011	20-05-2011	29-11-2012	619	20.63	11-11-2014	712	23.73
9.	एएन-डीडब्लूएन-2003/1	04-12-2012	03-02-2013	10-09-2013	280	9.33	29-12-2014	475	15.83
10.	एसआर-ओएसएन-97/1	29-10-2006	28-12-2006	07-07-2014	2808	93.60	10-03-2015	246	8.20

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
11.	केजी-ओएसएन-2001/1	17-03-2008	16.05.2008	11-12-2012	1730	57.67	23-09-2013	286	9.53
12.	एए-ओएनएन-2004/4	10-01-2013	10-03-2013	03-07-2013	174	5.80	07-01-2016	918	30.60
13.	एए-ओएनएन-2003/3	29-05-2010	28-07-2010	07-11-2013	1258	41.93	19-02-2015	469	15.63
14.	एए-ओएनएन-2003/2	08-04-2010	07-06-2010	16-08-2010	130	4.33	14-01-2011	151	5.03
15.	केजी-डीडब्लूएन-98/1	31-12-2010	27-02-2011	27-01-2015	1488	49.60	25-05-2018	1214	40.47
16.	एमबी-ओएसएन-2000/1	15-05-2008	14-07-2008	08-02-2010	634	21.13	09-11-2012	1005	33.50
17.	एमएन-डीडब्लूएन-	04-06-2013	03-08-2013	07-11-2013	156	5.20	04-06-2015	574	19.13

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
	2003/1								
18.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/1	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	28-08-2014	294	9.80
19.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/2	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	13-01-2015	432	14.40
20.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/3	14-11-2012	13-01-2013	07-11-2013	358	11.93	05-03-2015	483	16.10
21.	केजी-डीडब्लूएन-2004/4	20-11-2012	19-01-2013	07-11-2013	352	11.73	17-11-2014	375	12.50
22.	केजी-डीडब्लूएन-2004/7	22-11-2012	21-01-2013	07-11-2013	350	11.67	12-11-2014	370	12.33

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
23.	एमएन-ओएसएन-2000/1	15-02-2007	14-04-2007	15-09-2009	943	31.43	03-11-2009	49	1.63
24.	आरजे-ओएनएन-2004/3	21-01-2012	20-03-2012	07-11-2013	656	21.87	17-03-2015	495	16.50
25.	केजी-डीडब्लूएन-2001/1	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	18-02-2015	468	15.60
26.	एमएन-डीडब्लूएन-98/2	06-03-2011	05-05-2011	24-03-2014	1114	37.13	27-04-2015	399	13.30
27.	एमएन-डीडब्लूएन-2004/4	20-11-2012	19-01-2013	07-11-2013	352	11.73	05-03-2015	483	16.10
28.	केके-डीडब्लूएन-2001/2	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	09-03-2015	487	16.23

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
29.	केके-डीडब्लूएन-2001/1	22-01-2012	22-03-2012	07-11-2013	655	21.83	09-03-2015	487	16.23
30.	आरजे-ओएनएन-2004/1	05-05-2013	04-06-2013	07-11-2013	186	6.20	31-10-2014	358	11.93
31.	सीवाई-डीडब्लूएन-2004/3	21-11-2012	20-01-2013	28-05-2019	2379	79.3	08-08-2019	72	2.4
32.	एनइसी-डीडब्लूएन-2002/2	17-09-2014	17-11-2014	09-10-2017	1118	37.27	16-01-2019	464	15.47
33.	आरजे-ओएनएन-2005/2	24-12-2015	22-02-2016	10-05-2018	868	28.93	07-08-2019	454	15.13

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर सीओयूएमडब्लूपी के भुगतान की नियत तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण की तारीख	अन्वेषण चरण के अंत या अनुबंध की समाप्ति के बाद से डीजीएच द्वारा लिया गया समय		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के निर्धारण के बाद से सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन में एमओपीएनजी द्वारा लिया गया समय	
					दिन	महीने		दिन	महीने
		ए	बी	सी	डी=सी-ए	डी/30	इ	एफ=इ-सी	एफ/30
एनइएलपी राउंड VIII और IX									
34.	एए-ओएनएन-2010/1	15-10-2013	15-12-2013	30-10-2013	15	0.50	31-12-2013	62	2.07
35.	सीवाई-ओएसएन-2009/1	01-08-2014	30-09-2014	08-07-2014	0	0	29-04-2016	661	22.03
36.	सीबी-ओएनएन-2009/1	14-04-2015	13-06-2015	15-05-2017	762	25.40	01-09-2017	109	3.63
37.	सीबी-ओएनएन-2009/2	03-07-2015	02-09-2015	13-04-2017	650	21.67	01-09-2017	141	4.70
38.	सीबी-ओएनएन-2010/10	29-08-2018	28-10-2018	03-08-2017	0	0	08-11-2018	462	15.40
39.	सीबी-ओएनएन-2010/4	15-10-2018	14-12-2018	15-11-2018	31	1.03	10-12-2018	25	0.83

परिशिष्ट-XXIII

(पैरा 5.1.4.1 के उप-पैरा (ग) में संदर्भित)

छ: ब्लॉक के संबंध में निजी कंपनियों से अधूरा न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की गैर-वसूली लागत

(एनइएलपी राउंड VIII और IX)

क्र. सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	पीएससी के अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के अन्दर संविदाकारों द्वारा भुगतान का विवरण (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा अनुमोदित सीओयूएमडब्लूपीका विवरण (राशि यूएसडी मिलियन में)		बीजी को अभिमंत्रित किया (राशि यूएसडी मिलियन में)	बीजी को अभिमंत्रित किया (राशि यूएसडी मिलियन में)			शेष (राशि यूएसडी मिलियन में)
		दिनांक	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	राशि	सीओयूएमडब्लूपी	ब्याज	दिनांक	राशि
								ए	बी	सी			डी=ए-बी-सी
1.	एए-ओएनएन-2010/1	15-10-2013	15-12-2013	0	30-10-2013	9.01	31-12-2013	9.01	0.00	0.00	0	-	9.01
2.	सीवाई-ओएसएन-2009/1	01-08-2014	30-09-2014	0	08-07-2014	0.43	29-04-2016	0.34	0.00	0.15	0	03.12.14	0.19
3.	सीबी-ओएनएन-2009/1	14-04-2015	13-06-2015	0	15-05-2017	11.22	01-09-2017	11.22	1.99	0.00	0	28.12.17	9.22
4.	सीबी-ओएनएन-2009/2	03-07-2015	02-09-2015	0	13-04-2017	11.18	01-09-2017	11.18	1.55	0.00	0	27.08.19	9.63

5.	सीबी-ओएनएन-2010/10	29-08-2018	28-10-2018	0	03-08-2017	8.91	08-11-2018	8.91	0.00	0.00	0	-	8.91
6.	सीबी-ओएनएन-2010/4	15-10-2018	14-12-2018	0	15-11-2018	5.31	10-12-2018	5.31	0.00	0.00	0	-	5.31
								45.95	**3.54**	**0.15**			**42.26**

परिशिष्ट-XXIV

(पैरा 5.1.4.2 में संदर्भित)

सात निस्तारित/ समाप्त ब्लॉक के संबंध में अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की स्वीकृति में विलंब

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत / अनुबंध की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर भुगतान की नियत तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए डीजीएच द्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए सीओयूएमडब्लूपी की गणना में डीजीएच द्वारा लिया गया समय	30 सितंबर 2019 तक डीजीएच द्वारा निर्धारित तारीख के बीच में बीता समय
		दिनांक	दिनांक	दिनांक	राशि	दिनांक	दिन	दिन
		ए	बी	सी		डी	इ=सी-ए	एफ=30.09.2019-सी
1.	वीएन-ओएनएन-2004/1	21-10-2016	20-12-2016	24-09-2019	1.30	अभी अनुमोदित किया जाना है	1,068	6
2.	केजी-ओएनएन-2004/2	10-02-2013	09-04-2013	01-11-2013	2.83		264	2,159
3.	डब्लूबी-ओएसएन-2000/1	28-02-2008	27-04-2008	11-07-2018	25.63		3,786	446
4.	सीबी-ओएनएन-2004/5	10-01-2013	11-03-2013	17-10-2013	10.32		280	2,174
5.	जीवी-ओएनएन-2002/1	07-12-2008	05-02-2009	24-08-2018	2.35		3,547	402
6.	सीवाई-डीडब्लूएन-2001/2	14-09-2014	13-09-2014	03-04-2018	23.81		1,297	545
7.	डीएस-ओएनएन-2004/1	30-08-2018	29-10-2018	18-06-2019	2.54		292	104
				कुल	**68.78**			

परिशिष्ट-XXV

(पैरा 5.1.4.2 में संदर्भित)

दो निस्तारित/समाप्त ब्लॉक के संबंध में अधूरे न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम की लागत की गणना में विलंब

क्र.सं.	ब्लाक	अन्वेषण चरण का अंत/ संविदा की समाप्ति	अनुच्छेद 5 के अनुसार 60 दिनों के भीतर भुगतान की नियत तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदनके लिए डीजीएचद्वारा सीओयूएमडब्लूपी की गई गणना (राशि यूएसडी मिलियन में)		एमओपीएनजी द्वारा सीओयूएमडब्लूपी के अनुमोदन की तारीख	एमओपीएनजी के अनुमोदन के लिए सीओयूएमडब्लूपी की गणना में डीजीएच द्वारा लिया गया समय	30 सितंबर 2019 तक डीजीएच द्वारा निर्धारित तारीख के बीच में बीता समय
		दिनांक	दिनांक	दिनांक	राशि	दिनांक	दिन	दिन
		ए	बी	सी		डी	इ=सी-ए	एफ=30.09.2019-ए
1.	केके-ओएसएन-2001/2	12-03-2007	11-05-2007	अभी निर्धारित किया जाना है	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	4,585
2.	केके-ओएसएन-2001/3	12-03-2007	11-05-2007	अभी निर्धारित किया जाना है	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	4,585

परिशिष्ट-XXVI

(पैरा 6.1.4.1 में संदर्भित)

गहराई में कमी के कारण राजस्व का नुकसान दर्शाने वाला विवरण

अवधि	डीडब्ल्यूटी (टन में)	कार्गो ने संभाला (टन में)	औसत पार्सल लोड (*प्रतिशत में*)	जहाजों की संख्या	औसत पार्सल लोड में कमी (*प्रतिशत में*) (आधार के रूप में 48.54 लेना)	औसत पार्सल लोड में कमी के कारण कार्गो की हानि (टन में)	प्रति टन राजस्व (₹)	औसत पार्सल लोड में कमी के कारण राजस्व हानि (₹ करोडो में)
ए	बी	सी	डी=सी/बी x 100	इ	एफ=48.54 -डी	जी= बी x एफ/ 100	एच	आई= जी x एच
2002-03	5,85,97,050	2,84,45,508	48.54	1,659	0.00			
2013-14	6,91,27,540	2,71,50,867	39.28	1,956	9.26	64,03,641	298.70	191.28
2014-15	7,53,75,051	2,90,40,358	38.53	1,900	10.01	75,46,692	318.26	240.18
2015-16	7,84,09,129	3,02,95,504	38.64	2,026	9.90	77,64,287	298.83	232.02
2016-17	8,22,98,638	3,21,48,637	39.06	2,075	9.48	77,99,122	320.22	249.74
2017-18	9,52,02,174	3,80,12,711	39.93	2,315	8.61	81,98,424	326.18	267.42
2018-19	9,82,19,896	4,01,15,996	40.84	2,262	7.70	75,59,942	316.22	239.06
							कुल	**1,419.70**

परिशिष्ट-XXVII

(पैरा 6.1.4.2 में संदर्भित)

हॉपर क्षमता के कम उपयोग का विवरण

अवधि	लोड की सं.	उपयोग करने की क्षमता	क्षमता का वास्तविक उपयोग	क्षमता का कम उपयोग	कम उपयोग का प्रतिशत	भुगतान की गयी राशि (₹ करोडो में)	कम-उपयोग के कारण भुगतान की गई राशि अप्रभावी हो गई (₹ करोडो में)
ए	बी	सी	डी	इ = सी-डी	एफ=इ/सी X 100	जी	एच= जी X एफ
(क) ड्रेज XXI (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,260	1,24,30,000	1,08,94,640	15,35,360	12.35	93.24	11.52
2015-16	3,837	86,68,000	79,99,793	6,68,207	7.71	77.52	5.97
2016-17	5,011	64,51,500	55,50,696	9,00,804	13.96	20.79	2.90
कुल	**11,108**	**2,75,49,500**	**2,44,45,129**	**31,04,371**	**11.27**	**191.55**	**20.39**
(ख) ड्रेज XX (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,141	1,17,75,500	1,02,35,347	15,40,153	13.08	104.04	13.61
2015-16	794	43,67,000	41,06,419	2,60,581	5.97	51.03	3.05
2016-17	632	34,76,000	31,57,496	3,18,504	9.16	60.72	5.56
कुल	**3,567**	**1,96,18,500**	**1,74,99,262**	**21,19,238**	**10.80**	**215.79**	**22.22**
(ग) ड्रेज XIX (क्षमता 5500 घन मीटर)							
2014-15	2,180	1,19,90,000	1,04,74,754	15,15,246	12.64	104.94	13.26
2015-16	1,332	73,26,000	69,61,135	3,64,865	4.98	58.67	2.92
2016-17	208	11,44,000	10,53,035	90,965	7.95	18.04	1.44
कुल	**3,720**	**2,04,60,000**	**1,84,88,924**	**19,71,076**	**9.63**	**181.65**	**17.62**
(घ) ड्रेज XVII (क्षमता 7400 घन मीटर)							
2014-15	0	0	0	0	-	0	0
2015-16	825	61,05,000	45,03,050	16,01,950	26.24	39.58	10.39

अवधि	लोड की सं.	उपयोग करने की क्षमता	क्षमता का वास्तविक उपयोग	क्षमता का कम उपयोग	कम उपयोग का प्रतिशत	भुगतान की गयी राशि (₹ करोडो में)	कम-उपयोग के कारण भुगतान की गई राशि अप्रभावी हो गई (₹ करोडो में)
ए	बी	सी	डी	इ = सी-डी	एफ=इ/सी X 100	जी	एच= जी X एफ
2016-17	0	0	0		-	0	0
कुल	**825**	**61,05,000**	**45,03,050**	**16,01,950**	**26.24**	**39.58**	**10.39**
(ड़) ड्रेज XVI (क्षमता 7400 घन मीटर)							
2014-15	130	9,62,000	6,33,699	3,28,301	34.13	15.94	5.44
2015-16	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**130**	**9,62,000**	**6,33,699**	**3,28,301**	**-**	**15.94**	**5.44**
(च) ड्रेज XIV (क्षमता 4500 घन मीटर)							
2014-15	1,275	57,37,500	56,60,659	76,841	1.34	39.59	0.53
2015-16	1,787	80,41,500	77,81,360	2,60,140	3.23	59.48	1.92
2016-17	550	24,75,000	21,77,569	2,97,431	12.02	28.93	3.48
कुल	**3,612**	**1,62,54,000**	**1,56,19,588**	**6,34,412**	**-**	**128.00**	**5.93**
(छ) ड्रेज XII (क्षमता 4500 घन मीटर)							
2014-15	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	1,195	53,77,500	53,44,212	33,288	0.62	37.94	0.23
2016-17	1,927	18,76,500	16,92,948	1,83,552	9.78	16.31	1.60
कुल	**3,122**	**72,54,000**	**70,37,160**	**2,16,840**	**-**	**54.25**	**1.83**
सभी ड्रेज के संबंध में कुलराशि का भुगतान कम उपयोग के कारण अप्रभावी हो गया (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ) = ₹83.82 करोड़							

परिशिष्ट-XXVIII

(पैरा 6.1.4.3 में संदर्भित)

तलकर्षण संविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय विवरण

महिना	ऑकलैंड			ईडन			जेल्लिंघम और हल्दिया एंकरेज		
	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर(₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)
ए	बी	सी	डी = बी X सी	इ	एफ	जी = इ X एफ	एच	आई	जे = एचX आई
अप्रैल-14	13,47,962.65	234.59	31,62,18,557.99	0.00	209.53	0.00	1,74,350.10	259.47	4,52,38,620.94
मई-14	15,71,503.18	234.59	36,86,58,930.61	0.00	209.53	0.00	2,97,823.58	259.47	7,72,76,284.20
जून-14	11,54,604.31	234.59	27,08,58,624.08	0.00	209.53	0.00	2,03,457.73	259.47	5,27,91,177.85
जुलाई-14	11,26,519.70	234.59	26,42,70,256.57	0.00	209.53	0.00	2,86,557.03	259.47	7,43,52,951.40
अगस्त-14	14,05,587.17	234.59	32,97,36,694.67	0.00	209.53	0.00	3,75,686.87	259.47	9,74,79,471.18
सितम्बर-14	10,81,061.79	234.59	25,36,06,285.27	0.00	209.53	0.00	3,36,864.85	259.47	8,74,06,323.54
अक्टूबर-14	9,11,559.72	234.59	21,38,42,794.66	0.00	209.53	0.00	2,92,877.47	259.47	7,59,92,917.49
नवम्बर-14	8,21,245.77	234.59	19,26,56,045.35	0.00	209.53	0.00	2,75,023.13	259.47	7,13,60,250.86
दिसम्बर-14	8,52,418.89	234.59	19,99,68,947.81	0.00	209.53	0.00	2,81,330.74	259.47	7,29,96,886.81
जनवरी-15	9,42,743.33	234.59	22,11,58,158.07	0.00	209.53	0.00	2,47,768.93	259.47	6,42,88,604.25
फरवरी-15	6,89,045.90	234.59	16,16,43,278.73	0.00	209.53	0.00	3,27,390.77	259.47	8,49,48,083.27
मार्च-15	7,64,441.63	234.59	17,93,30,362.12	0.00	209.53	0.00	4,61,940.97	259.47	11,98,59,823.01
अप्रैल-15	7,36,734.96	234.59	17,28,30,653.19	0.00	209.53	0.00	5,57,816.19	259.47	14,47,36,567.10
मई-15	13,41,347.58	234.59	31,46,66,728.70	0.00	209.53	0.00	4,81,871.15	259.47	12,50,31,106.38
जून-15	10,34,964.92	234.59	24,27,92,421.42	0.00	209.53	0.00	4,64,661.69	259.47	12,05,65,767.56
जुलाई-15	10,01,457.62	234.59	23,49,31,944.06	0.00	209.53	0.00	4,56,411.42	259.47	11,84,25,071.25
अगस्त-15	8,58,505.01	234.59	20,13,96,690.94	0.00	209.53	0.00	4,49,329.03	259.47	11,65,87,403.89
सितम्बर-15	8,64,619.41	234.59	20,28,31,066.84	5,080.50	209.53	10,64,516.50	4,76,765.97	259.47	12,37,06,467.41
अक्टूबर-15	873221.54	234.59	20,48,49,041.40	0.00	209.53	0.00	4,94,487.60	259.47	12,83,04,697.24
नवम्बर-15	7,41,289.83	234.59	17,38,99,180.76	0.00	209.53	0.00	3,54,061.83	259.47	9,18,68,422.52

महिना	ऑकलैंड			ईडन			जेल्लिंघम और हल्दिया एंकरेज		
	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर(₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)	मात्रा (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर (₹)	राशि (₹)
ए	बी	सी	डी = बी X सी	इ	एफ	जी = इ X एफ	एच	आईं	जे = एचX आई
दिसम्बर-15	6,63,604.75	234.59	15,56,75,038.68	0.00	209.53	0.00	3,75,235.30	259.47	9,73,62,303.13
जनवरी-16	6,61,330.82	234.59	15,51,41,595.96	0.00	209.53	0.00	3,20,488.08	259.47	8,31,57,041.19
फरवरी-16	2,34,214.95	234.59	5,49,44,484.90	33306.27	209.53	69,78,663.57	2,32,049.15	259.47	6,02,09,793.69
मार्च-16	0.00	234.59	0.00	210784.82	209.53	4,41,65,742.35	2,02,600.52	259.47	5,25,68,755.87
अप्रैल-16	53,616.96	234.59	1,25,78,001.57	153855.38	209.53	3,22,37,318.23	2,49,129.18	259.47	6,46,41,549.56
मई-16	1,66,558.54	234.59	3,90,72,968.23	50572.55	209.53	1,05,96,467.27	2,55,690.78	259.47	6,63,44,085.93
जून-16	2,32,198.81	234.59	5,44,71,518.58	0.00	209.53	0.00	2,71,968.57	259.47	7,05,67,685.70
जुलाई-16	2,25,537.21	234.59	5,29,08,774.14	0.00	209.53	0.00	2,56,189.85	259.47	6,64,73,581.29
अगस्त-16	1,48,426.34	234.59	3,48,19,336.03	14610.54	209.53	30,61,346.74	2,87,899.08	259.47	7,47,01,175.01
सितम्बर-16	1,34,280.71	234.59	3,15,00,912.55	0.00	209.53	0.00	2,36,460.38	259.47	6,13,54,373.71
अक्टूबर-16	1,85,613.29	234.59	4,35,43,022.40	0.00	209.53	0.00	3,87,458.96	259.47	10,05,33,975.16
नवम्बर-16	4,02,251.27	234.59	9,43,64,126.34	0.00	209.53	0.00	4,38,286.06	259.47	11,37,22,084.95
दिसम्बर-16	5,17,869.30	234.59	12,14,86,958.94	0.00	209.53	0.00	4,40,191.54	259.47	11,42,16,499.25
कुल	**2,37,46,337.87**		**5,57,06,53,401.54**	**4,68,210.06**		**9,81,04,054.65**	**1,12,50,124.49**		**2,91,90,69,802.59**
अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2016 के दौरान तलकर्षण की कुल मात्रा= (2,37,46,337.87+ 4,68,210.06 + 1,12,50,124.49) = 3,54,67,484.21 घन मीटर									
कुल तलकर्षण व्यय दैनिक किराया दर के आधार पर किया जाता है = ₹9,78,26,89,118									
कुल तलकर्षण व्यय का मूल्यांकन मात्रा दर के आधार पर किया गया होगा = ₹(5,57,06,53,401+9,81,04,055+2,91,90,69,803) = ₹8,58,78,27,259									
तलकर्षण अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अत्यधिक व्यय = ₹(9,78,26,89,118 - 8,58,78,27,259) = ₹1,19,48,61,859 अर्थात ₹119.49 करोड़									
नोट: तलकर्षण मात्रा को 1.79 ग्राम/ घन मीटर के थोक घनत्व के साथ पुनर्गणना किया गया है।									

परिशिष्ट-XXIX

(पैरा 6.1.4.4 में संदर्भित)

जेल्लिंघम में तलकर्षण पर किए गए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

अवधि	वास्तविक गहराई (मीटर)		जेल्लिंघम पर ईडन की गहराई में अंतर (मीटर)	जेल्लिंघम और ईडन के बीच गहराई में कम अंतर के कारण जेल्लिंघम की गहराई का कम-उपयोग (मीटर)	जेल्लिंघम की कम-उपयोग वाली गहराई के लिए अतिरिक्त तलकर्षण मात्रा (एमएम^3)	जेलिंगहम के लिए तलकर्षण की इकाई लागत (₹)	जेल्लिंघम की कम-उपयोग की गई गहराई के लिए अतिरिक्त मात्रा पर व्यय (₹ करोड़ में)
	जेल्लिंघम	ईडन					
ए	बी	सी	डी=सी-बी	इ=बी-(सी-0.5)	एफ=इx 0.15 एमएम^3/ 0.1	जी	एच=जी xएफ
जनवरी-17	4.20	4.60	0.40	0.10			
फरवरी-17	4.40	4.60	0.20	0.30			
मार्च-17	4.50	4.40	-0.10	0.60			
अप्रैल-17	4.50	4.60	0.10	0.40			
मई-17	4.50	4.60	0.10	0.40			
जून-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
जुलाई-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
अगस्त-17	4.80	4.60	-0.20	0.70			
सितम्बर-17	4.70	4.60	-0.10	0.60			
अक्टूबर-17	4.80	4.60	-0.20	0.70			
नवम्बर-17	4.80	4.80	0.00	0.50			
दिसम्बर-17	4.90	5.10	0.20	0.30			
			औसत	**0.48**	**0.73**	**259.47**	**18.81**
जनवरी-18	4.90	5.10	0.20	0.30			
फरवरी-18	5.00	5.10	0.10	0.40			
मार्च-18	5.00	4.90	-0.10	0.60			

अवधि	वास्तविक गहराई (मीटर)		जेल्लिंघम पर ईडन की गहराई में अंतर (मीटर)	जेल्लिंघम और ईडन के बीच गहराई में कम अंतर के कारण जेल्लिंघम की गहराई का कम-उपयोग (मीटर)	जेल्लिंघम की कम-उपयोग वाली गहराई के लिए अतिरिक्त तलकर्षण मात्रा (एमएम^3)	जेलिंगहम के लिए तलकर्षण की इकाई लागत (₹)	जेल्लिंघम की कम-उपयोग की गई गहराई के लिए अतिरिक्त मात्रा पर व्यय (करोड़ में)
	जेल्लिंघम	ईडन					
ए	बी	सी	डी=सी-बी	इ=बी-(सी-0.5)	एफ=इx 0.15 एमएम^3/ 0.1	जी	एच=जी xएफ
अप्रैल-18	5.10	4.90	-0.20	0.70			
मई-18	5.30	5.00	-0.30	0.80			
जून-18	5.10	4.90	-0.20	0.70			
जुलाई-18	5.10	5.00	-0.10	0.60			
अगस्त-18	5.30	5.10	-0.20	0.70			
सितम्बर-18	5.10	5.10	0.00	0.50			
अक्टूबर-18	4.90	5.10	0.20	0.30			
नवम्बर-18	5.00	5.00	0.00	0.50			
दिसम्बर-18	5.10	5.30	0.20	0.30			
			औसत	**0.53**	**0.80**	**259.47**	**20.76**
जनवरी-19	5.10	5.30	0.20	0.30			
फरवरी-19	5.10	5.50	0.40	0.10			
मार्च-19	5.10	5.50	0.40	0.10			
			औसत	**0.17**	**0.06**	**259.47**	**1.62**
						कुल	**41.19**

नोट: नए तलकर्षण अनुबंध की निविदा विनिर्देश के अनुसार, आगामी प्रत्येक बाद की 0.1 मीटर गहराई में वृद्धि के लिए, मात्रा के मानदंड में 0.15 एमएम^3 की वृद्धि होगी

परिशिष्ट-XXX

(पैरा 6.1.4.5 में संदर्भित)

केओपीटी में जहाज के औसत टर्न राउंड टाइम को दर्शाने वाला विवरण

अवधि	कोलकाता डॉक सिस्टम		हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स	
	जहाज की टीआरटी ने एंकरेज और डॉक में काम किया	जहाज की कुल टीआरटी	जहाज की टीआरटी ने एंकरेज और डॉक में काम किया	जहाज की कुल टीआरटी
	(दिनों में आंकड़े)			
2013-14	10.5	4.63	16.82	5.97
2014-15	10.78	4.68	21.48	8.01
2015-16	9.33	4.34	18.84	8.48
2016-17	9.82	4.83	15.93	6.4
2017-18	12.02	5.1	19.36	7.17
2018-19	6.62	4.83	13.59	6.45
नोट: टीआरटीकी गणना के लिए, लेखापरीक्षा ने उन जहाजों को बाहर रखा जहां चौड़ाई संबंधित डॉक के लॉक गेट की चौड़ाई से बड़ी थी				

परिशिष्ट-XXXI

(पैरा 6.1.4.6 में संदर्भित)

संविदा के सीमा में संशोधन में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अनुबंध मूल्य में वृद्धि *(प्रतिशत* में)	अनुबंध मूल्य (₹)	अवधि (महीने)	वार्षिक अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ो में)
2017	-	37,00,000	12	4.44
2018	5	38,85,000	6	2.33
			कुल भुगतान	6.77
अतिरिक्त व्यय (भुगतान राशि का 40 *प्रतिशत*)				**2.71**

परिशिष्ट-XXXII

{पैरा 6.1.5.1(क) में संदर्भित}

पुनरावर्तित तलकर्षण सामग्री पर किए गए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	तलकर्षण मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर)	तलकर्षण व्यय (₹ करोडो में)	चैनल @ 15 प्रतिशत में तलकर्षण सामग्री का पुनः संचलन (मिलियन क्यूबिक मीटर)	पुन: परिचालित तलकर्षण सामग्री पर किए गए खर्च में कटौती (₹करोडो में)
ए	बी	सी	डी = बी X 15 *प्रतिशत*	इ = सी x 15 *प्रतिशत*
2013-14	19.6	349.14	2.94	52.37
2014-15	18.11	394.16	2.72	59.12
2015-16	16.24	343.17	2.44	51.48
2016-17	7.68	244.75	1.15	36.71
2017-18	9.98	253.57	1.50	38.04
2018-19	9.21	272.58	1.38	40.89
कुल	**80.82**	**1,857.37**	**12.12**	**278.61**

परिशिष्ट-XXXIII

{पैरा 6.1.5.2(क) में संदर्भित}

संविदा में साइड कास्टिंग के लिए दरों को शामिल नहीं करने के कारण परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

तलकर्षण	महीने	जेल्लिंघम				लोअर ऑकलैंड बार (ऊपर)			
		मात्रा ($एम^3$)	तलकर्षण व्यय@ ₹259.47 प्रति क्यूब मीटर (₹)	तलकर्षण की अनुमानित लागत@ ₹156 प्रति क्यूब मीटर (₹)	अतिरिक्त व्यय (₹)	मात्रा ($एम^3$)	तलकर्षण व्यय@ ₹259.47 प्रति क्यूब मीटर (₹)	तलकर्षण की अनुमानित लागत@ ₹156 प्रति क्यूब मीटर (₹)	अतिरिक्त व्यय(₹)
ए	बी	सी	डी=सी X 259.47	इ=सी X 156	एफ =डी - इ	जी	एच=जीX224.59	आई=जीX 156	जे = एच-आई
XX	जनवरी-17	67,439.85	1,74,98,618	1,05,20,617	69,78,001				
XX	फरवरी-17	79,504	2,06,28,903	1,24,02,624	82,26,279				
XX	मार्च-17	62,693.35	1,62,67,044	97,80,163	64,86,881	43,311.81	97,27,399.40	67,56,642.40	29,70,757.10
XII	मार्च-17	0	0	0	0	15,782.59	35,44,611.90	24,62,084	10,82,527.90
XX	मई-17	27,292.37	70,81,551	42,57,610	28,23,942	4,944.27	11,10,433.60	7,71,306.12	3,39,127.48
XX	जून-17	25,710.21	66,71,028	40,10,793	26,60,235				
XX	जुलाई-17	52,804.81	1,37,01,264	82,37,550	54,63,714				
XXI	जुलाई-17	38,367.54	99,55,226	59,85,336	39,69,889				
XX	अगस्त-17	1,187	3,07,991	1,85,172	1,22,819				
XXI	अगस्त-17	36,588	94,93,488	57,07,728	37,85,760				
XX	सितम्बर-17	37,774.23	98,01,279	58,92,780	39,08,500				
XXI	सितम्बर-17	4,746.50	12,31,574	7,40,454	4,91,120				
XX	अक्टूबर-17	62,100.04	1,61,13,097	96,87,606	64,25,491				

XXI	अक्टूबर-17	4,944.27	12,82,890	7,71,306	5,11,584				
XXI	नवम्बर-17	80,294.78	2,08,34,087	1,25,25,986	83,08,101				
XX	दिसम्बर-17	2,373.25	6,15,787	3,70,227	2,45,560				
XXI	दिसम्बर-17	52,607.04	1,36,49,949	82,06,698	54,43,250				
XX	जनवरी-18	21,359.25	55,42,085	33,32,043	22,10,042				
XXI	जनवरी-18	26,896.83	69,78,920	41,95,905	27,83,015				
XXI	फरवरी-18	695	1,80,332	1,08,420	71,912				
XXI	मार्च-18	23,732.5	61,57,872	37,02,270	24,55,602				
XXI	अप्रैल-18	18,986	49,29,297	29,61,816	19,67,481				
XXI	मई-18	10,877.40	28,22,359	16,96,874	11,25,485				
XX	जून-18	8,701.91	22,57,885	13,57,498	9,00,387				
XXI	जून-18	2,768.79	7,18,418	4,31,931	2,86,487				
XX	जुलाई-18	14,437.27	37,46,038	22,52,214	14,93,824				
XXI	जुलाई-18	7,119.75	18,47,362	11,10,681	7,36,681				
XXI	अगस्त-18	34,412.13	89,28,914	53,68,292	35,60,622				
XIX	सितम्बर-18	34,609.90	89,80,231	53,99,144	35,81,086				
XX	अक्टूबर-18	37,972	98,52,595	59,23,632	39,28,963				
XX	नवम्बर-18	46,278.38	1,20,07,851	72,19,427	47,88,424				
XX	दिसम्बर-18	14,239.50	36,94,723	22,21,362	14,73,361				
XX	जनवरी-19	3,559.88	9,23,682	5,55,341	3,68,341				
कुल		**9,43,073.73**	**24,47,02,339**	**14,71,19,502**	**9,75,82,839**	**64,038.67**	**1,43,82,445**	**99,90,033**	**43,92,412**
कुल मात्रा = (9,43,073.73 + 64,038.67) क्यूब मीटर = 10,07,112.4 क्यूब मीटर									
कुल अतिरिक्त व्यय= (₹9,75,82,839 + ₹43,92,412) = ₹10,19,75,251 या ₹10.19 करोड़									

परिशिष्ट-XXXIV

{पैरा 6.1.5.2(क) में संदर्भित}

संविदा की शेष अवधि के दौरान व्यय को बचाने के लिए अवसर की हानि दर्शाने वाला विवरण

विवरण	फार्मूला	राशि (₹ में)
27 महीनों में साइड कास्टिंग के माध्यम से तलकर्षण की कुलमात्रा (घन मीटर में) (परिशिष्ट-XXXIII का सन्दर्भ लें)	**ए**	10,07,112.40
मासिक औसत मात्रा (घन मीटर)	**बी=ए/27 महीने**	37,300.46
शेष अवधि के अनुबंध अर्थात 33 महीने के दौरान रेज मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए (अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2021) (घन मीटर)	**सी=बी** X 33 **महीने**	12,30,915.16
ईडन पर प्रति घन मीटर की दर (₹ प्रति घन मीटर)	**डी**	259.47
केओपीटी द्वारा अनुमानित दर (₹ प्रति घन मीटर)	**इ**	156.00
दर में अंतर (₹ प्रति घन मीटर)	**एफ=डी-इ**	103.47
		कुल हानि (₹ करोड़ो में)
	जी=(सी x **एफ)**/10^7	**12.74**

परिशिष्ट-XXXV
(पैरा 6.4 में संदर्भित)

टिपलिंग प्रभारों की कम वसूली के कारण नुकसान की गणना

अवधि	टिपलिंग शुल्क लगाया (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिपलिंग शुल्क की गणना (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिपलिंग शुल्क की कम वसूली (₹ प्रति मीट्रिक टन)	टिप्पल की गयी मात्रा (मीट्रिक टन)	हानि (₹ करोडो में)
जून 2016 से जुलाई 2018	20.40	47.05	26.65	29,52,748	7.87
अगस्त 2018 से मार्च 2019	21.10	48.67*	27.57	11,93,502	3.29
कुल				**41,46,250**	**11.16**

*टीएएमपी द्वारा 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक इंडेक्सेशन फैक्टर 3.45 *प्रतिशत* तय किया गया था। तदनुसार, 1 अगस्त 2018 से आईओएचपी पर थर्मल कोयले की हैंडलिंग के लिए संशोधित टिपलिंग शुल्क (₹47.05 X 103.45 *प्रतिशत*) = ₹48.67 प्रति मीट्रिक टन